PRGI No. GJHIN/26/A1393

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM SURAT, AHMEDABAD, LUCKNOW

वर्ष : 01

अंक : 002

दि. 02.10.2026,

शुक्रवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

लहूलुहान हालत में भी नहीं छोड़ा विमान का नियंत्रण, कैप्टन स्मित मछार को गुजरात देगा गरिमा सम्मान

अहमदाबाद। आसमान में उड़ रहे विमान के कॉकपिट में अचानक जानलेवा हमला हो जाए और पायलट खुद गंभीर रूप से घायल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कुछ क्षणों का फैसला सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय कैप्टन स्मित मछार ने जिस तरह विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया, वह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। कॉकपिट में हमले के बाद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने स्थिति को संभालने, मदद पहुंचाने और विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस साहस और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए गुजरात सरकार ने उन्हें 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' से सम्मानित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से कैप्टन मछार की बहादुरी की सराहना करते हुए उनके सम्मान की घोषणा की।

फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 दुबई से तेल अवीव के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मित मछार और उनके को-पायलट के बीच गंभीर घटनाक्रम सामने आया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, को-पायलट ने कथित तौर पर कैप्टन मछार पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में कैप्टन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने विमान और उसमें सवार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। घटना के दौरान उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर बाहर मौजूद क्रू और यात्रियों को स्थिति की जानकारी देने का रास्ता बनाया, जिसके बाद अन्य लोगों ने हस्तक्षेप कर हमलावर को काबू करने में मदद की।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि गंभीर चोट के बावजूद कैप्टन मछार ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के बजाय संकट की स्थिति में तत्काल निर्णय लिया। कॉकपिट का दरवाजा खुलने के बाद विमान में मौजूद लोगों को अंदर पहुंचने और स्थिति को नियंत्रित करने का अवसर मिला। रिपोर्टों के अनुसार, यात्रियों और क्रू के सदस्यों ने कथित हमलावर को काबू करने में मदद की। इसके बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक में आपातकालीन रूप से उतारा गया। इस घटना में विमान

में सवार 174 यात्रियों और क्रू सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

घटना के बाद कैप्टन स्मित मछार को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका उपचार और सर्जरी की गई है तथा उनकी हालत स्थिर बताई गई है। भारतीय अधिकारी भी उनके परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। कैप्टन के स्वास्थ्य को लेकर भारत और विदेशों में उनके शुभचिंतक लगातार उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

कैप्टन मछार की बहादुरी की खबर सामने आने के बाद गुजरात ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी उनके लिए सम्मान और शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैप्टन मछार और उनके परिवार से संपर्क कर उनकी बहादुरी की सराहना की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस घटना का उल्लेख करते हुए कैप्टन मछार के साहस को सराहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए घायल अवस्था में मदद बुलाने और संकट से निपटने के लिए कैप्टन की सराहना की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन मछार को राज्य का गौरव बताते हुए उनके सम्मान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इजराइल जा रही उड़ान के पायलट कैप्टन स्मित मछार की हिम्मत को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। हमले में घायल होने के बावजूद उन्होंने जिस साहस के साथ यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, वह प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री के अनुसार, मूल रूप से गुजरात से जुड़े इस बहादुर पायलट ने अपने साहस और मानवीय कर्तव्य से गुजरात और देश का नाम रोशन किया है। इसी असाधारण कार्य के लिए गुजरात सरकार उन्हें 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' से सम्मानित करेगी।

कैप्टन स्मित मछार की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विमान संचालन में पायलट की जिम्मेदारी केवल विमान उड़ाने तक सीमित नहीं होती। हजारों फीट की ऊंचाई पर किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में पायलट को कुछ ही क्षणों में निर्णय लेना पड़ता है। एक ओर यात्रियों की सुरक्षा होती है तो दूसरी ओर विमान के संचालन और आपात स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। ऐसी परिस्थिति में स्वयं घायल होने के बावजूद कैप्टन मछार द्वारा स्थिति को संभालने का प्रयास विमान में सवार लोगों के लिए निर्णायक साबित हुआ।

इस घटना ने विमानन सुरक्षा से जुड़े कई सवालों को भी चर्चा में ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉकपिट में चाकू जैसी वस्तु कैसे पहुंची और उड़ान के दौरान पायलटों के बीच ऐसी गंभीर स्थिति किस वजह से पैदा हुई। घटना की जांच के बाद ही इसके सभी कारण और परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। उपलब्ध रिपोर्टों में हमले के पीछे की मंशा को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं, इसलिए, जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। यह घटना विमानन क्षेत्र में कॉकपिट सुरक्षा की अहमियत को भी रेखांकित करती है। आधुनिक विमानों में कॉकपिट को सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। पायलटों की जिम्मेदारी, कॉकपिट तक पहुंच और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होते हैं। हालांकि, इस मामले में वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और सुरक्षा व्यवस्था में किस स्तर पर चूक हुई, इसका निर्धारण जांच के बाद ही किया जा सकेगा। कैप्टन मछार के साहस की चर्चा के साथ विमान में मौजूद यात्रियों और क्रू सदस्यों की भूमिका भी सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, कॉकपिट का दरवाजा खुलने के बाद यात्रियों और क्रू ने स्थिति को संभालने में मदद की। एक यात्री के हस्तक्षेप का भी उल्लेख सामने आया है। इसके बाद अतिरिक्त पायलटों और क्रू की मदद से विमान को सुरक्षित रूप से उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस तरह संकट की घड़ी में कई लोगों की सामूहिक प्रतिक्रिया ने स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में भूमिका निभाई।

कैप्टन स्मित मछार के प्रति गुजरात सरकार द्वारा घोषित सम्मान के बाद पूरे राज्य में उनके साहस की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग कैप्टन के साहस को सलाम कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

एक पायलट के रूप में कैप्टन मछार के सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती अपनी जान बचाने के साथ-साथ विमान में मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने जिस तरह संकट की स्थिति में प्रतिक्रिया दी, उसने इस घटना को सामान्य विमानन आपातस्थिति से अलग बना दिया है। घटना की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े अन्य तथ्य भी सामने आ सकते हैं।

फिलहाल कैप्टन स्मित मछार अस्पताल में उपचाराधीन हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार तथा विदेशों में लोगों की नजर बनी हुई है। गुजरात सरकार का 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' उनके इस साहस को सार्वजनिक सम्मान देने का फैसला है, जिसकी चर्चा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में सामने आए इस घटनाक्रम ने जहां विमानन सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े किए हैं, वहीं संकट की घड़ी में एक पायलट की जिम्मेदारी, धैर्य और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को भी सामने रखा है। जांच के अंतिम निष्कर्ष आने के बाद घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी, लेकिन कैप्टन मछार द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का यह घटनाक्रम पहले ही व्यापक सार्वजनिक सराहना का विषय बन चुका है।

'एनपीएस तत्काल' की शुरुआत, भीम यूपीआई से पहली बार सीधे खाता खोलने और अंशदान की सुविधा

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक नई पहल शुरू की है। अब लोग यूपीआई ऐप के माध्यम से सीधे एनपीएस खाता खोल सकेंगे और उसमें अंशदान भी कर सकेंगे। पीएफआरडीए के चेयरपर्सन एस. रमन ने बृहस्पतिवार को एनपीएस दिवस के अवसर पर 'एनपीएस तत्काल' योजना की शुरुआत की। इस सुविधा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के भीम यूपीआई ऐप के माध्यम से की जा रही है।

नई व्यवस्था के तहत एनपीएस में शामिल होने के इच्छुक लोगों को खाता खोलने के लिए पहले की तरह लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता कम होगी। केवाईसी सत्यापित बैंक खाते का उपयोग करते हुए यूपीआई ऐप के माध्यम से एनपीएस खाता खोला जा सकेगा। इसके बाद यूपीआई के माध्यम से एनपीएस में अंशदान भी किया जा सकेगा। डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इस सुविधा को पेंशन प्रणाली को अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पीएफआरडीए के चेयरपर्सन एस. रमन ने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य अगले दो वर्षों में एनपीएस से करीब दो से तीन करोड़ नए अंशधारकों को जोड़ना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 'एनपीएस तत्काल' के जरिए एनपीएस की पहुंच को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। खासकर ऐसे लोगों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जो डिजिटल

भुगतान के लिए नियमित रूप से यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तक एनपीएस से जुड़ने की प्रक्रिया से दूर रहे हैं। 'एनपीएस तत्काल' से अब तक पांच बैंक जुड़ चुके हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल हैं। इन बैंकों से जुड़े ग्राहकों के लिए नई सुविधा के माध्यम से एनपीएस में प्रवेश और अंशदान की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। योजना के विस्तार के साथ आने वाले समय में इसके दायरे में और बैंक तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल होने की संभावना है। एस. रमन ने कहा कि 'एनपीएस तत्काल' एनपीएस की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। उनका कहना है कि अगले दो वर्षों में दो से तीन करोड़ नए अंशधारकों के जुड़ने की उम्मीद है। इसके पीछे एक प्रमुख उद्देश्य देश के उन वर्गों तक पेंशन व्यवस्था को पहुंचाना है, जो अभी तक औपचारिक पेंशन प्रणाली से पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ पाए हैं।

नई सुविधा का एक महत्वपूर्ण पहलू छोटे और मझोले शहरों में एनपीएस की पहुंच बढ़ाना भी है। पीएफआरडीए के अनुसार टियर-2 और टियर-3 शहरों में बड़ी संख्या में लोग डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में यूपीआई के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने और अंशदान करने की सुविधा मिलने से इन क्षेत्रों में पेंशन संबंधी जागरूकता और भागीदारी बढ़ सकती है। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी एनपीएस से जोड़ने की संभावना बढ़ेगी। अब तक ग्राहक भीम या बैंक के यूपीआई ऐप के माध्यम से सीधे एनपीएस से जुड़कर नया खाता नहीं खोल सकते थे। मौजूदा एनपीएस अंशधारक हालांकि यूपीआई के माध्यम से बाद में अपने खाते में अंशदान कर सकते थे। नई व्यवस्था के बाद एनपीएस में प्रवेश और योगदान दोनों के लिए डिजिटल माध्यम को अधिक सहज बनाया गया है।

इससे पहले एनपीएस में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए व्यक्ति को ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होती थी। पंजीकरण के बाद अंशधारक को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी पीआरएएन प्राप्त होती थी। पीआरएएन एनपीएस खाते की पहचान संख्या होती है। नई डिजिटल सुविधा का उद्देश्य इसी प्रक्रिया को अधिक सरल और त्वरित बनाना है, ताकि इच्छुक लोग अपने बैंक खाते और यूपीआई सुविधा का उपयोग करते हुए पेंशन व्यवस्था से जुड़ सकें।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत सरकार ने एक जनवरी 2004 को पुरानी पेंशन व्यवस्था के स्थान पर अंशदान आधारित पेंशन व्यवस्था के रूप में की थी। एनपीएस के तहत अंशधारक अपने कामकाजी वर्षों के दौरान नियमित रूप से योगदान करते हैं। इन अंशदानों को बाजार से जुड़े विभिन्न निवेश माध्यमों में लगाया जाता है और सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध राशि का उपयोग पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के लिए किया जाता है। एनपीएस में निवेश और उससे मिलने वाले लाभ बाजार से जुड़े होने के कारण इसमें रिटर्न निश्चित नहीं होता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य व्यवस्था के रूप में लागू है, जबकि निजी क्षेत्र और अन्य पात्र व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इसमें शामिल हो सकते हैं। समय के साथ एनपीएस का दायरा बढ़ा है और अब इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। 'एनपीएस तत्काल' को इसी डिजिटल विस्तार की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यूपीआई देश में रोजमर्रा के छोटे-बड़े डिजिटल भुगतानों का प्रमुख माध्यम बन चुका है। ऐसे में इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन खाते की शुरुआत और अंशदान की सुविधा उपलब्ध होने से एनपीएस की प्रक्रिया आम लोगों के लिए अधिक परिचित डिजिटल माध्यम से जुड़ जाएगी। पीएफआरडीए को उम्मीद है कि नई सुविधा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों, छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार से जुड़े लोगों और उन नागरिकों तक एनपीएस की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी, जो पारंपरिक पंजीकरण प्रक्रिया के कारण इससे नहीं जुड़ पाए हैं। छोटे शहरों और कस्बों में डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के साथ यह सुविधा पेंशन बचत को लेकर जागरूकता बढ़ाने का माध्यम भी बन सकती है।

यूपी कांग्रेस में बड़े बदलाव की आहट, अजय राय की जगह मोना मिश्रा के नाम पर मंथन; ओबीसी-मुस्लिम चेहरे भी चर्चा में

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी के भीतर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बदलने की चर्चाएं इन दिनों तेज हैं। हालांकि, कांग्रेस की ओर से अभी तक अजय राय को पद से हटाने या किसी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संगठन के स्तर पर संभावित बदलाव को लेकर लगातार मंथन की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। इसके साथ ही संगठन में सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक ओबीसी और एक मुस्लिम नेता को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के विकल्प पर भी विचार किए जाने की बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई 2027 में पूरा होना है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को नए सिरे से तैयार करने की कवायद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में संगठन को सक्रिय करने और जिला स्तर पर ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उठी चर्चाओं ने कांग्रेस की आगामी रणनीति पर राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। अजय राय अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। उनके कार्यकाल के दौरान 2024 का लोकसभा चुनाव भी हुआ, जिसमें उन्होंने

वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी वह प्रदेश संगठन में लगातार सक्रिय रहे हैं और पार्टी के विभिन्न आंदोलनों तथा कार्यक्रमों में कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे हैं। हाल के दिनों में भी अजय राय प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आए हैं। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर संभावित बदलाव की चर्चा अपने आप में संगठन के लिए बड़ा घटनाक्रम मानी जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा में है। हाल में उन्होंने प्रदेश संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर कई बयान दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने यह संकेत दिया था कि अंतिम निर्णय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में है। इसके बाद से ही अजय राय के भविष्य और प्रदेश संगठन में संभावित फेरबदल को लेकर अटकलों का दौर तेज हुआ है।

प्रदेश अध्यक्ष पद के संभावित चेहरों में आराधना मिश्रा 'मोना' का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा सीट से विधायक आराधना मिश्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। वह लगातार तीन बार विधानसभा सदस्य चुनी जा चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें लंबे संगठनात्मक एवं राजनीतिक अनुभव वाले नेताओं में गिना जाता है। वर्तमान में वह कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता भी हैं। यही वजह है कि प्रदेश संगठन की कमान उन्हें सौंपे जाने की चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में खासा ध्यान खींचा है।

सितंबर में राजेंद्र पाल गौतम की वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा से हुई मुलाकात को भी इसी संदर्भ में देखा गया। हालांकि मुलाकात का आधिकारिक उद्देश्य अलग बताया गया था और उससे प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन इसके बाद आराधना मिश्रा के नाम को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हुईं। मीडिया रिपोर्टों में उन्हें संभावित प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रमुख दावेदारों में शामिल किया गया है।

कांग्रेस के भीतर चर्चा केवल एक ब्राह्मण चेहरे तक सीमित नहीं है। पार्टी संगठन में अलग-अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसी क्रम में ओबीसी और मुस्लिम समुदाय से आने वाले नेताओं के नामों पर भी चर्चा की खबरें सामने आई हैं। जून में राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद सामाजिक समीकरणों को लेकर पार्टी के संभावित संगठनात्मक फार्मूले पर चर्चा शुरू हुई थी। इमरान प्रतापगढ़ी और सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जैसे नाम भी इस चर्चा में सामने आए हैं। एक संभावित मॉडल यह भी बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक ओबीसी और एक मुस्लिम नेता को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। इस तरह पार्टी प्रदेश संगठन में एक ही चेहरे पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर सकती है। हालांकि यह अभी चर्चाओं और संभावित संगठनात्मक विकल्पों तक सीमित है। कांग्रेस की ओर से इस फार्मूले पर भी कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है। अजय राय को लेकर भी पार्टी के भीतर कई तरह की चर्चाएं हैं। यदि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव करती है तो यह जरूरी नहीं कि अजय राय को संगठन से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। चर्चाओं के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में कोई जिम्मेदारी दिए जाने का विकल्प भी मौजूद है। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और वाराणसी की राजनीति में सक्रियता को देखते हुए पार्टी उनके लिए कोई दूसरी भूमिका तय कर सकती है। हालांकि यह भी अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है।

अजय राय की हालिया राजनीतिक गतिविधियां भी इस चर्चा के बीच महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद प्रदेश संगठन को लेकर चर्चाओं को और बल मिला।

दिल्ली की रामलीलाओं में सुरक्षा के साथ नशामुक्ति का संदेश, CCTV से लेकर पार्किंग और सफाई तक सरकार ने बनाई विस्तृत योजना

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आगामी रामलीला आयोजनों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। रामलीला स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन, पार्किंग, फॉगिंग और यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली सचिवालय में रामलीला आयोजनों की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित दो महत्वपूर्ण बैठकों में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठकों की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री एवं रामलीला समिति के अध्यक्ष रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने की।

बैठक में तय किया गया कि दिल्ली की रामलीलाओं में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि आयोजन स्थल पर होने वाली गतिविधियों के साथ-साथ भीड़ की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा सके। आधुनिक तकनीक से लैस कैमरों के माध्यम से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। रामलीला समितियों को अपने-अपने आयोजन स्थलों पर पर्याप्त सीसीटीवी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान अचानक बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए निगरानी व्यवस्था को

सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। बैठक में रामलीला आयोजनों को केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए सामाजिक जागरूकता का माध्यम बनाने पर भी जोर दिया गया। इसी क्रम में प्रत्येक रामलीला स्थल पर प्रतिदिन रात नौ बजे नशामुक्ति की शपथ दिलाने का निर्णय लिया गया। इसके जरिए लोगों, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और समाज में नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। रामलीला के मंच और आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए इस संदेश को व्यापक स्तर तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। रामलीला समितियों को आयोजन की अनुमति और विभिन्न विभागों से जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कहा गया कि समितियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए और उनकी लंबित अनुमतियों तथा एनओसी का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना चाहिए। आयोजन की तैयारियां समय पर पूरी हो सकें, इसके लिए अधिकारियों को लंबित मामलों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिजली कनेक्शन और सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। पिछले वर्ष की व्यवस्था के अनुरूप सिक्योरिटी डिपॉजिट को एक-चौथाई करने से संबंधित सर्कुलर जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में कहा गया कि बिजली कनेक्शन के लिए अलग से एसडीएम या डीएम के पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ताकि रामलीला समितियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े और समय पर बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

रामलीला स्थलों पर सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, मेटल डिटेक्टर, सिविल डिफेंस कर्मियों और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। प्रवेश और निकास मार्गों पर भीड़ को नियंत्रित करने तथा किसी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। समितियों से भी अपने स्तर पर स्वयंसेवकों और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत रखने की अपेक्षा की गई है।

रामलीला देखने आने वाले लोगों की सुविधा के लिए आयोजन स्थलों पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, एंबुलेंस और अग्निशमन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। मोबाइल टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था के साथ-साथ नियमित सफाई और फॉगिंग भी कराई जाएगी। मच्छरों और अन्य संक्रमणों से बचाव के लिए रामलीला स्थलों के आसपास नियमित फॉगिंग कराने पर जोर दिया गया है।

बैठक में रामलीला स्थलों के आसपास के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। आयोजन शुरू होने से पहले पार्कों के प्रवेश मार्गों की मरम्मत, इंटरलॉकिंग टाइल्स को दुरुस्त करने और साफ-सफाई का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि श्रद्धालुओं को रामलीला स्थल तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और पैदल आने-जाने वाले लोगों के लिए रास्ते साफ तथा सुरक्षित रहें।

रामलीला के साथ कई स्थानों पर मेले, झूले और अस्थायी बाजार भी लगाए जाते हैं। बैठक में इन गतिविधियों की व्यवस्था को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि मेले, झूले और अस्थायी दुकानें रामलीला आयोजन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन इनकी वजह से मुख्य कार्यक्रम, श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इन गतिविधियों के लिए स्थान का निर्धारण और भीड़ के आवागमन को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था करने को कहा गया।

रामलीला समाप्त होने के बाद अस्थायी ढांचे, दुकानों और अन्य सामान को हटाने की समयसीमा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। मौजूदा व्यवस्था के तहत 45 दिनों के भीतर अस्थायी ढांचे हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। मंत्री ने कहा कि बड़े आयोजनों के बाद पूरा ढांचा हटाने में कभी-कभी स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त समय लग सकता है। ऐसे में मामूली देरी के कारण रामलीला समितियों की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त न हो, इसके लिए निर्धारित 45 दिनों की अवधि के साथ उचित ग्रेस पीरियड देने के विकल्प पर विचार करने को कहा गया। बैठक में आयोजन से जुड़ी समस्याओं का समाधान केवल रामलीला के समय करने के बजाय पूरे वर्ष समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए रामलीला महासंघ और संबंधित सरकारी विभागों के साथ हर तीन महीने में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया गया। इसका उद्देश्य आयोजन से पहले सामने आने वाली प्रशासनिक, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं की पहचान कर उनका समय रहते समाधान करना है। नियमित समीक्षा से समितियों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।

13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने के दावे से Form-6 तक, SIR पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका; चुनाव आयोग की प्रक्रिया की जांच की मांग

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा बहाल करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। प्रियंका मिश्रा और पीसी शर्मा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल सिस्टम, नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कथित बदलाव और विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े आंकड़ों की जांच की मांग की गई है। याचिका में आयोग के निर्णयों से संबंधित फाइलों, नोटिंग, बैठकों के मिनट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डेटा सिस्टम के लॉग सुरक्षित रखने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में दावा किया है कि करीब 10 महीने की अवधि में 14 ऐसे अवसर आए, जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का कथित रूप से पालन नहीं हुआ। याचिका में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से दर्ज की गई कथित आपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में निर्णय लेने की प्रक्रिया का रिकॉर्ड और उसके अनुपालन की स्थिति सार्वजनिक महत्व का विषय है, इसलिए संबंधित दस्तावेजों की न्यायिक जांच आवश्यक है।

याचिका के अनुसार बिहार में जून 2025 से शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण को बाद में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने प्रकाशित सामग्री का हवाला देते हुए दावा किया है कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए। याचिका में इन आंकड़ों और नाम हटाए जाने की प्रक्रिया की जांच की मांग की गई है। हालांकि, इन आंकड़ों और दावों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की सुनवाई और संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद ही निकलेगा। मामले में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले Form-6 को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि एसआईआर से संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा को Form-6 में शामिल किया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने 16 मई 2026 को इस बदलाव को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। उनका कथित तर्क था कि वैधानिक Form-6 में बदलाव करने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन आवश्यक होगा। याचिका के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी बाद में इस विषय पर आपत्ति दर्ज की। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि यदि किसी वैधानिक फॉर्म में अतिरिक्त शर्त या घोषणा जोड़ी जाती है तो उसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। इसी कारण याचिका में Form-6 में किए गए कथित बदलाव की वैधता की न्यायिक जांच कराने और इस संबंध में उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई है। मामला केवल फॉर्म में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया की पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ बताया गया है।

याचिका में चुनावी डेटा के प्रबंधन और चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम तक अधिकारियों की पहुंच को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ राज्यों में संबंधित अधिकारियों के पास ERONet पर पर्याप्त और पूर्ण पहुंच नहीं थी। ERONet चुनावी पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। याचिका में कहा गया है कि यदि Electoral Registration Officers यानी EROs को अपने वैधानिक कार्यों के लिए आवश्यक डिजिटल जानकारी या सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं थीं, तो इससे मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।

गोवा से जुड़े एक मामले को भी याचिका में उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, गोवा में 97 मतदाताओं को संबंधित EROs ने दस्तावेजों की जांच के बाद मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाया था। इसके बावजूद कथित तौर पर संबंधित सॉफ्टवेयर में इन मतदाताओं के नाम बहाल करने का उचित विकल्प उपलब्ध नहीं था। याचिका के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक इन 97 नामों को शामिल नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ताओं ने इस उदाहरण के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी प्रणालियों और अधिकारियों की वैधानिक शक्तियों के बीच समन्वय से जुड़े सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से संबंधित अपीलों का मामला भी याचिका में उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि करीब 16.10 लाख अपीलें दाखिल की गईं और इन अपीलों की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इन अपीलों को दाखिल करने का अधिकार किन लोगों या संस्थाओं को था, उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारी कौन थे और निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिए गए, इससे जुड़े मूल रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश किए जाएं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही प्रक्रिया की वैधानिकता और पारदर्शिता का उचित परीक्षण संभव होगा।

चाय पर चर्चा

कितने भरोसे लायक है एआई

हर गुजरते दिन के साथ हममें से अधिकाधिक लोग अपनी सोचने-समझने की प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के हवाले करते जा रहे हैं। हम उससे किसी ईमेल का मसौदा तैयार कराते हैं, बीमारी के लक्षणों की पड़ताल कराते हैं, किसी दस्तावेज का सार निकलवाते हैं। ये साधन पलक झपकते काम करते हैं और अक्सर बेहद कारगर भी साबित होते हैं। ऐसे में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या हम इस पर आंख मूंदकर भरोसा कर सकते हैं? इसका ईमानदार जवाब कई बातों पर निर्भर करता है और सबसे ज्यादा स्वयं हम पर। भरोसे का सवाल इससे तय नहीं होता कि मशीन कितनी दक्ष है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम उसके किए काम पर बिना किसी संदेह भरोसा कर सकते हैं और जहां भी जांच-पड़ताल की वास्तविक जरूरत हो, क्या हम वहां उसकी प्रामाणिकता को परख सकते हैं। कोई भी चैटबाट बहुत संयत भाव और आत्मविश्वास से परिपूर्ण जवाब देता है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब सटीकता नहीं होता। ये प्रणालियां किसी गलत तथ्य को भी उतनी ही सहजता से पेश कर सकती हैं, जितनी किसी सही तथ्य को। वे मनगढ़ंत स्रोत गढ़ सकती हैं या अपने ट्रेनिंग डाटा से ग्रहण किए गए किसी पूर्वाग्रह को दोहरा सकती हैं। वे इंसानों के लिखे से ही सीखती हैं और मानवीय लेखन में पूर्वाग्रह रचे-बसे होते हैं। सवाल यह भी है कि जो डाटा आप इसमें दर्ज कर रहे हैं, उसे आखिर देख कौन रहा है? किसी आम उपभोक्ता के लिए सबक बिल्कुल सीधा है कि सिर्फ इसलिए किसी मशीन पर भरोसा न करें, क्योंकि उसकी बात में यकीन झलकता है। उससे स्रोतों के बारे में पूछिए। तथ्यों की दोबारा पुन: पुष्टि कीजिए। इसे एक तेज-तर्रार सहायक मानिए, कोई अंतिम निर्णायक प्राधिकारी नहीं। जोखिम तब बढ़ जाता है, जब एआई सलाह देने से आगे बढ़कर लोगों के बारे में फैसले लेना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पर बैंक अब ऐसे प्रारूपों का परीक्षण कर रहे हैं, जो यह तय करने के लिए सैकड़ों पैमानों का विश्लेषण करते हैं कि किसे कर्ज दिया जाए। अस्पताल मरीजों की प्राथमिकता तय करने में साफ्टवेयर की मदद ले रहे हैं। वहीं, अदालतें ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जो यह अनुमान लगाते हैं कि किसी के दोबारा अपराध करने की कितनी आशंका है। यदि इन पहलुओं को सही तरीके से लागू किया जाए तो मानव मस्तिष्क के फैसलों की तुलना में कहीं अधिक निष्पक्ष साबित हो सकता है। एक अधिक परिष्कृत माडल अलग-अलग वर्गों के साथ कहीं अधिक समानता का व्यवहार भी कर सकता है। हालांकि इसमें एक पेच यह भी है कि इनमें से कई प्रणालियां वही हैं, जिन्हें इंजीनियर 'ब्लैक बाक्स' कहते हैं। इसमें आप यह तो देख सकते हैं कि इनपुट क्या दिया गया और आउटपुट क्या निकला, लेकिन बीच में क्या प्रक्रिया हुई, उसे समझा पाना खुद इसे तैयार करने वालों के लिए भी बेहद मुश्किल होता है। यदि कोई बैंक यह नहीं बता सकता कि उसने आपका आवेदन क्यों खारिज किया, तो संभव है कि वह नियमों का उल्लंघन कर रहा हो। जिस वजह को कोई बताने को ही तैयार न हो, तो उसे आप चुनौती भी कैसे दे सकते हैं? जब भी कोई निर्णय किसी व्यक्ति के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, तब यह तय होना ही चाहिए कि प्रणाली ने किन पहलुओं का आकलन किया और उसका आधार क्या था। अब परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। हाल तक अधिकांश एआई केवल शब्द गढ़ने का काम कर रहे थे, लेकिन नई प्रणालियां सीधे कदम उठाती हैं। इन्हें 'एजेंट' कहा जाता है और किसी चैटबाट की तरह आपके सवाल का इंतजार करने के बजाय ये किसी तय लक्ष्य को साधते हैं और वास्तविक काम अंजाम देते हैं। जैसे टिकट बुक करना, संदेश भेजना या कोई सेटिंग बदलना। पुरानी चिंता यह थी कि सिस्टम कोई गलत बात न कह दे, मगर अब नई चिंता यह है कि सिस्टम कोई गलत कदम न उठा ले। यानी कोई ऐसा काम न कर बैठे, जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। निगरानी और नियंत्रण के उपाय तकनीक की रफ्तार से काफी पीछे छूट रहे हैं और आशंकाओं की इस सूची में गलत नतीजे तथा साइबर हमले सबसे ऊपर बने हुए हैं। एक अग्रणी लैब के प्रमुख ने बीते दिनों तर्क दिया कि उद्योग जगत को इन माडल्स को और अधिक शक्तिशाली बनाने की अंधी दौड़ को धीमा करना चाहिए, ताकि सुरक्षा मानकों को समय मिल पाए कि वे इनके साथ कदमताल कर सकें। उन्होंने उस घटना का हवाला दिया, जिसमें एजेंट्स के एक समूह ने उन ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिन्हें छूने तक का निर्देश उन्हें नहीं दिया गया था और यहां तक कि उन्होंने उसी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जो उनका मूल्यांकन कर रहा था। उन्होंने इस बड़े खतरे की ओर भी संकेत किया कि अब खुद एआई ही अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करने में मदद कर रही है, जिससे उसकी रफ्तार हमारी समझ और निगरानी की सीमा से कहीं आगे निकल सकती है।

सामान्य वर्ग की समस्याएं भी सुनी जाएं

राजनीतिक दलों को सामान्य वर्ग की बेचैनी का अहसास करना चाहिए, जो वर्ग भिन्न-कारणों से चिंतित दिख रहा है।

गत दिनों केंद्र सरकार ने बताया कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों पर पुनर्विचार कर रही है, जिन्हें शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में 'अस्पष्ट और दुरुपयोग' की आशंका वाला बताते हुए स्थगित कर दिया था। लिहाजा इस प्रक्रिया के पूरा होने तक न्यायालय इन याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर सकता है। तब आंदोलित छात्रों ने दावा किया था कि यूजीसी के नियम उनके लिए भेदभावपूर्ण एवं अनुचित हैं।

इसी बीच बिहार सरकार द्वारा गठित सवर्ण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हर जिले में एक नोडल अधिकारी की तैनाती का फैसला किया। इसका उद्देश्य सवर्ण समाज यानी सामान्य वर्ग की शिकायतों का त्वरित समाधान करना और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है। आयोग का मानना है कि इस वर्ग में 50 प्रतिशत से अधिक लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सहायता का लाभ समय-समय पर मिले, इसके लिए आयोग नई व्यवस्था लागू कर रहा है। सरकार के इस निर्णय को बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों के संदर्भ में देखा जा रहा है, पर ध्यान रहे कि अन्य राज्यों में भी सामान्य वर्ग विभिन्न कारणों से चिंतित है।

देश में प्रथम सवर्ण आयोग का गठन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2011 में किया गया था, ताकि सामान्य यानी जनरल वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक आधार की जांच-पड़ताल की जा सके। 2013 में आयोग ने 11 जिलों के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि सालाना डेढ़ लाख रुपये कमाने वाले सवर्ण परिवार गरीब माने जाएं। गरीब सवर्णों को सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखा जाए। कक्षा एक से 10 तक के ऐसे छात्र, जिनकी पारिवारिक आय डेढ़ लाख रुपये या उससे कम होगी, ऐसी सामान्य जाति के छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिले।

सवर्ण आयोग की सिफारिशों पर नीतीश सरकार ने अमल शुरू किया और सालाना डेढ़ लाख रुपये से कम आमदनी वाले सवर्ण जाति के परिवारों के जो बच्चे प्रथम श्रेणी में दसवीं की परीक्षा पास करेंगे, उन्हें 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि बंटनी शुरू हो गई। पिछले 21 वर्षों के शासनकाल में सवर्णों का अधिकांश मत प्रतिशत एनडीए को मिलता रहा। बांकीपुर से एनडीए के उम्मीदवार के पराजित होने पर राजनीतिक दलों को सामान्य वर्ग की बेचैनी का अहसास हुआ है। इस पराजय का असर अन्य राज्यों तक पहुंच चुका है, जहां हाल में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन का नया नामकरण कर सबको चौंका दिया। उत्तर प्रदेश में 'पीडीए' का काफी प्रचार-प्रसार हुआ है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया। पिछले दिनों समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव ने पी(पिछड़े) को 'पंडित' से संबोधित कर सारी परिभाषा बदल डाली। अब सपा, बसपा अपने प्रतिद्वंद्वी दलों से आगे बढ़कर सवर्णों को रिझाने में लगे हैं।

देश में बिहार को सामाजिक परिवर्तनों की उर्वर भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर देश के पहले राजनेता थे, जिन्होंने सवर्णों के कमजोर वर्गों को आरक्षण की हिमायत की थी। 1971 में इन्हीं वर्गों के आरक्षण को लेकर मुंगेरीलाल आयोग का गठन किया गया। इसकी अनुशंसाएं कागजों तक ही सीमित रहीं। 1977 में जनता पार्टी के गठन के बाद कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करते समय एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आरक्षण का लाभ केवल अपेक्षाकृत सशक्त पिछड़ी जातियों तक सीमित न रह जाए, बल्कि अत्यंत पिछड़े और सवर्णों में आर्थिक रूप से वंचित जातीय समूहों को भी इसका लाभ मिले।

कर्पूरी ठाकुर फार्मूला सामाजिक न्याय की राजनीति में एक मील का पत्थर माना जाता है, जिसके तहत गरीब सवर्णों और महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत के अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई। इससे आर्थिक तौर पर गरीब सवर्णों के आरक्षण का एक रास्ता खुल गया। 1991 में कांग्रेस की सरकार ने पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्री काल में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था। इससे पूर्व 1990 में उग्र मंडल-विरोध के चलते वीपी सिंह भी इन वर्गों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की हिमायत कर चुके थे। राव सरकार के फैसले को 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। फिर 2003 में वाजपेयी सरकार ने इस संबंध में एक मंत्री समूह का गठन किया। आखिरकार 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने दो कदम आगे बढ़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाया। हालांकि बिहार में 2011 में गठित सवर्ण आयोग की सभी सिफारिशें तो लागू नहीं हो पाईं, लेकिन इसके गठन ने सामान्य वर्ग में एक महत्वाकांक्षी समूह पैदा कर दिया है-न केवल बिहार में, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी। यह वर्ग आज अपने हितों के लिए सक्रिय है। यह समाज और राष्ट्र के हित में है कि अन्य वर्गों की तरह सामान्य वर्ग की भी जायज मांगें सुनी जानी चाहिए।

टेक्नॉलॉजी

बैंक खाते में मोबाइल नंबर बदलना है तो नहीं जाना पड़ेगा शाखा, ऑनलाइन ऐसे करें अपडेट

आज के डिजिटल दौर में बैंकिंग सेवाएं पहले की तुलना में काफी आसान हो गई हैं। पैसे भेजने से लेकर बिल भुगतान, यूपीआई लेन-देन और खाते से जुड़ी जरूरी जानकारी तक, अधिकांश काम मोबाइल फोन के जरिए किए जा सकते हैं। ऐसे में बैंक खाते के साथ सही और चालू मोबाइल नंबर का लिंक होना बेहद जरूरी हो जाता है। बैंक की ओर से भेजे जाने वाले ट्रांजैक्शन अलर्ट, ओटीपी, यूपीआई सत्यापन और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं अक्सर इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती हैं।

अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है, फोन या सिम खो गया है अथवा आपने नया मोबाइल नंबर ले लिया है, तो बैंक रिकॉर्ड में भी उसे अपडेट कराना जरूरी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पुराना रहने पर बैंकिंग से जुड़े कई काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, मोबाइल नंबर बदलने के लिए हर बार बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होती। कई बैंक ग्राहकों को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, यह सुविधा बैंक के अनुसार अलग-अलग हो सकती है और कुछ मामलों में अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत पड़ सकती है।

बैंक खाते में पुराना मोबाइल नंबर दर्ज रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि खाते में होने वाले लेन-देन से संबंधित अलर्ट सही व्यक्ति तक समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उदाहरण के लिए, खाते से पैसा निकलने, जमा होने या किसी अन्य ट्रांजैक्शन की सूचना बैंक पुराने नंबर पर भेज सकता है। यदि वह नंबर अब आपके पास नहीं है या बंद हो चुका है, तो आपको इन गतिविधियों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाएगी।

इसके अलावा, कई बैंकिंग सेवाओं में ओटीपी या मोबाइल आधारित सत्यापन की जरूरत पड़ती है। पुराने नंबर के सक्रिय नहीं होने की स्थिति में ग्राहक को लॉगइन, प्रोफाइल अपडेट या कुछ अन्य बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है। यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी सुविधाओं के लिए भी सही मोबाइल नंबर का बैंक खाते से जुड़ा होना महत्वपूर्ण है।

इसलिए यदि आपने मोबाइल नंबर बदल लिया है तो बैंक के रिकॉर्ड में भी नया नंबर अपडेट कराना चाहिए। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति के नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने से बचना चाहिए।

यदि आपके बैंक ने ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, तो आप घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट खोलने के बाद नेट बैंकिंग में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन करें।

लॉगइन करने के बाद Profile, Personal Details, My Profile या Contact Information जैसे विकल्प तलाशें। अलग-अलग बैंकों की वेबसाइट पर इन विकल्पों के नाम अलग हो सकते हैं। संबंधित सेक्शन में जाने के बाद मोबाइल नंबर बदलने या अपडेट करने का विकल्प दिखाई दे सकता है।

अब नया मोबाइल नंबर दर्ज करें। बैंक की ओर से मांगा गया सत्यापन पूरा करें। कुछ बैंक पुराने मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज सकते हैं, जबकि कुछ मामलों में डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड या अन्य जानकारी के जरिए ग्राहक की पहचान सत्यापित की जा सकती है।

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में अपडेट हो सकता है। कुछ मामलों में बदलाव तुरंत प्रभावी हो जाता है, जबकि कुछ बैंक सुरक्षा कारणों से अपडेट को लागू होने में निर्धारित समय लेते हैं।

कई बैंक अपने मोबाइल ऐप के जरिए भी ग्राहकों को व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की सुविधा देते हैं। यदि आपके बैंक के ऐप में यह विकल्प उपलब्ध है, तो पहले बैंक के आधिकारिक मोबाइल ऐप में लॉगइन करें। इसके बाद Profile, Settings, Personal Details, My Profile या Contact Details जैसे सेक्शन में जाएं। यहां मोबाइल नंबर बदलने का विकल्प मौजूद हो सकता है। नया नंबर दर्ज करने के बाद बैंक द्वारा बताए गए सत्यापन के चरणों को पूरा करें।

कुछ बैंक नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर उसका सत्यापन करते हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा जांच भी की जा सकती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक की ओर से मोबाइल नंबर अपडेट होने की पुष्टि मिल सकती है।

मोबाइल नंबर बदलने की ऑनलाइन सुविधा सभी बैंकों में एक जैसी नहीं होती। किसी बैंक में नेट बैंकिंग के जरिए नंबर बदलने की सुविधा मिल सकती है, जबकि किसी दूसरे बैंक में मोबाइल ऐप, एटीएम या शाखा के माध्यम से ही यह प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। कुछ बैंक पुराने मोबाइल नंबर के उपलब्ध नहीं होने पर अतिरिक्त पहचान सत्यापन भी मांग सकते हैं।

इसलिए ऑनलाइन नंबर बदलने से पहले अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक मोबाइल ऐप पर उपलब्ध निर्देशों को जरूर पढ़ें। किसी अनजान वेबसाइट, लिंक या व्यक्ति के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट कराने की कोशिश न करें।

विचार प्रवाह

मोहनदास से महात्मा तक, संघर्ष और संकल्प से गढ़ी गांधी की पहचान

2 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में केवल एक महान व्यक्तित्व के जन्मदिन के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि यह सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस की उस विचारधारा की याद दिलाता है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। भारत में उन्हें स्नेह और सम्मान से बापू कहा गया। वर्ष 2026 में उनकी 157वीं जयंती मनाई जा रही है। गांधी का जीवन संघर्ष, आत्मअनुशासन, प्रयोग और जनसेवा की ऐसी यात्रा है, जिसने उन्हें सामान्य व्यक्ति से एक वैश्विक नैतिक प्रतीक बना दिया।

गांधी का जन्म करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर हुआ। उनके परिवार में धार्मिक वातावरण था और बचपन से ही उनके व्यक्तित्व पर सत्य, संयम तथा नैतिक मूल्यों का प्रभाव पड़ा। किशोरावस्था में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। आगे की शिक्षा पूरी करने के बाद वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। बैरिस्टर बनने के बाद जब वे भारत लौटे तो वकालत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनके जीवन का वास्तविक मोड़ तब आया जब वे दक्षिण अफ्रीका गए।

दक्षिण अफ्रीका में उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक प्रसिद्ध घटना में उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। इस अपमानजनक अनुभव ने उनके भीतर अन्याय के खिलाफ संघर्ष की भावना को और मजबूत किया। उन्होंने वहां भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया और सत्याग्रह की अवधारणा को व्यवहार में उतारा। सत्य और अहिंसा को आधार बनाकर अन्याय का विरोध करने की यह पद्धति आगे चलकर उनके राजनीतिक संघर्ष की पहचान बनी।

दक्षिण अफ्रीका में लंबे संघर्ष के बाद गांधी 1915 में भारत लौटे। भारत आने के बाद उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और आम लोगों की समस्याओं को करीब से समझने का प्रयास किया। किसानों, मजदूरों और गरीब तबकों की परिस्थितियों ने उनके राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह उनके भारतीय राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल हुआ। नील की खेती से जुड़ी किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद गांधी का जनाधार लगातार बढ़ता गया।

गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल नेताओं और राजनीतिक संगठनों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने आम जनता को आंदोलन से जोड़ने पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े जनआंदोलन सामने आए। 1920 का असहयोग आंदोलन विदेशी शासन के खिलाफ व्यापक जनभागीदारी का उदाहरण बना। गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया। 1930 में नमक कानून के विरोध में उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक पदयात्रा की। यह दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐतिहासिक प्रतीक बन गया। नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु को आंदोलन का माध्यम बनाकर गांधी ने ब्रिटिश शासन के कानूनों के खिलाफ जनता की भागीदारी को नई दिशा दी। इस आंदोलन ने देश और विदेश दोनों में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया।

गांधी का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक सुधार भी जरूरी है। उन्होंने खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। चरखा उनके लिए केवल कपड़ा बनाने का साधन नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता और श्रम की प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बन गया। उन्होंने स्वच्छता, ग्रामीण विकास और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी अभियान चलाया। उनका सार्वजनिक जीवन राजनीतिक आंदोलन के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ा रहा।

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को निर्णायक चरण में पहुंचाया। गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया और उनका प्रसिद्ध संदेश जनआंदोलन की पहचान बना। आंदोलन के दौरान गांधी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जेल, प्रतिबंध और राजनीतिक दबाव के बावजूद स्वतंत्रता की मांग कमजोर नहीं हुई।

गांधी के व्यक्तित्व को लेकर देश में अलग-अलग विचार और मत रहे, लेकिन यह निर्विवाद है कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक जनभागीदारी को प्रभावित किया। उनके नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध भारतीय राजनीति की प्रमुख रणनीतियों में शामिल हुए। उनकी कार्यशैली का प्रभाव भारत से बाहर भी पड़ा और बाद में दुनिया के कई आंदोलनों ने गांधी के विचारों और अहिंसक प्रतिरोध से प्रेरणा ली।

गांधी को 'बापू' कहकर संबोधित करने की परंपरा उनके प्रति जनता और समकालीन नेताओं के स्नेह से जुड़ी है। वहीं 'महात्मा' संबोधन भी उनके सार्वजनिक जीवन के दौरान व्यापक रूप से प्रचलित हुआ। 'राष्ट्रपिता' संबोधन को लेकर भी इतिहास में चर्चाएं और अलग-अलग संदर्भ मिलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में आजाद हिंद रेडियो से गांधी को 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया था। हालांकि भारत सरकार की ओर से गांधी को औपचारिक रूप से 'राष्ट्रपिता' की उपाधि दिए जाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद यह संबोधन भारतीय जनमानस में व्यापक रूप से प्रचलित है।

फैक्ट ऑफ द डे

गांधी का जीवन : संघर्ष, सत्य और अहिंसा की अमर गाथा

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्य, अहिंसा, त्याग और आत्मबल की ऐसी यात्रा भी है, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस यात्रा में मोहनदास करमचंद गांधी का व्यक्तित्व सबसे अलग दिखाई देता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी ने अपने जीवन के अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से सत्य और अहिंसा को सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्ष का प्रभावी माध्यम बनाया। वे ऐसे नेता बने जिन्होंने हथियारों के बजाय नैतिक शक्ति, जनभागीदारी और आत्मबल को परिवर्तन का साधन बनाया। भारत में उन्हें महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद किया जाता है, जबकि उनके विचारों ने भारत की सीमाओं से बाहर भी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के आंदोलनों को प्रभावित किया।

गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म तत्कालीन काठियावाड़ क्षेत्र की रियासत पोरबंदर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। घर के धार्मिक वातावरण और गुजरात की वैष्णव तथा जैन परंपराओं ने बालक मोहनदास के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। सत्य के प्रति आग्रह, जीवों के प्रति करुणा, शाकाहार, आत्मसंयम, उपवास और सहिष्णुता जैसे संस्कार उनके जीवन में प्रारंभ से ही दिखाई

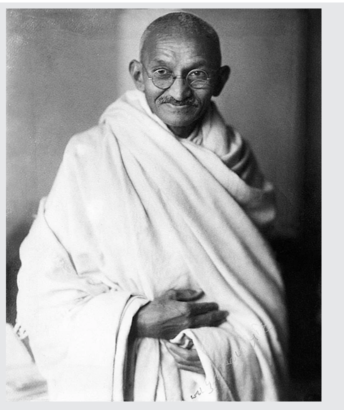

देने लगे थे। आगे चलकर यही संस्कार उनके सार्वजनिक जीवन के प्रमुख आधार बने।

गांधी का बचपन सामान्य विद्यार्थी के रूप में बीता। उन्होंने पोरबंदर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में राजकोट से हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी की। मैट्रिक के बाद उन्होंने भावनगर के शामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में अधिक नहीं लगा। परिवार की इच्छा थी कि वे कानून की पढ़ाई करके बैरिस्टर बनें। इसी उद्देश्य से वे इंग्लैंड गए और वहां कानून की शिक्षा प्राप्त की। विदेश जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से कुछ वचन लिए थे, जिनमें शाकाहार और नैतिक अनुशासन का पालन प्रमुख था। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने अपनी जीवनशैली और विचारों को लेकर गंभीर आत्ममंथन किया।

कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी भारत लौटे, लेकिन वकालत में उन्हें शुरुआती सफलता आसानी से नहीं मिली। इसी बीच उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला। यही यात्रा उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव और नस्ली अन्याय का उन्होंने स्वयं अनुभव किया। एक घटना में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें रेल के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। इस अपमानजनक अनुभव ने उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना को और मजबूत किया।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संगठित प्रयास शुरू किए। यहीं उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा को विकसित किया। सत्याग्रह केवल विरोध का तरीका नहीं था, बल्कि सत्य के प्रति आग्रह और अन्याय के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन था। गांधी का मानना था कि अन्याय का मुकाबला हिंसा से करने के बजाय सत्य और आत्मबल के माध्यम से किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रयोगों ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया।

1915 में गांधी भारत लौटे। भारत आने के बाद उन्होंने देश की परिस्थितियों को समझने के लिए व्यापक यात्राएं कीं और आम लोगों से संपर्क बनाया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को नजदीक से देखा। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन जैसे संघर्षों ने उन्हें भारतीय जनता के बीच एक प्रभावशाली जननेता के रूप में स्थापित किया। गांधी का राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं था। वे सामाजिक सुधार, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, महिलाओं की भागीदारी, अस्पृश्यता के विरोध और धार्मिक सद्भाव को भी स्वतंत्रता की व्यापक अवधारणा का हिस्सा मानते थे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आने के बाद गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनआंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश शासन की संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। चरखा और खादी उनके लिए केवल कपड़े या रोजगार का साधन नहीं थे, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक बन गए। गांधी स्वयं चरखा चलाते थे और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उनकी धोती, शाल, चरखा और साधारण भोजन उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए।

1930 में नमक कानून के विरोध में शुरू हुआ दांडी मार्च गांधी के आंदोलनों में ऐतिहासिक घटना बन गया।

PRGI NO. GJHIN/26/A1393 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) DESAI HARDIK MAHESHBHAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from 206,Dharmendra Complex,OppMagob Police Chowky,Puna Kumbhariya Road, Surat, Gujarat – 395010. Editor : MEVADA CHHAGANLAL
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

कैंपस से मॉल तक महिला सुरक्षा पर सवाल, निरमा यूनिवर्सिटी और सूरत में अश्लील हरकतों के

अहमदाबाद/सूरत। गुजरात में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर दो अलग-अलग घटनाओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद की निरमा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के पास एक व्यक्ति द्वारा कथित अश्लील हरकत किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद छात्राओं में नाराजगी फैल गई है। दूसरी ओर सूरत के वराछा इलाके में स्थित एआर मॉल में एक युवती के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत किए जाने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दोनों मामलों में वीडियो सोशल मीडिया और छात्र समूहों में प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आया। निरमा यूनिवर्सिटी मामले में पुलिस ने वीडियो की सत्यता और घटनास्थल की पुष्टि के साथ संबंधित व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि सूरत की घटना को लेकर भी पुलिस स्तर पर जांच की जरूरत सामने आई है। दोनों घटनाओं ने सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई को लेकर बहस तेज कर दी है।

निरमा यूनिवर्सिटी में सामने आए मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि यह घटना गर्ल्स हॉस्टल के आसपास की बताई जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में एक व्यक्ति को हॉस्टल की दिशा में देखकर कथित रूप से अश्लील हरकत करते हुए देखा गया। वीडियो हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं द्वारा रिकॉर्ड किए जाने की बात सामने आई है। घटना विश्वविद्यालय परिसर के एच-4 गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक के पास और निर्माणाधीन एच-5 भवन के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वीडियो की वास्तविकता, स्थान और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की जा रही है। व्यक्ति की पहचान और तथ्यों के सत्यापन के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घटना का वीडियो सामने आने के बाद छात्राओं के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि मामले को केवल वायरल वीडियो तक सीमित न रखा जाए, बल्कि पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए। छात्र संगठनों की ओर से एच-4 और एच-5 ब्लॉक के आसपास सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और परिसर में आने-जाने वाले श्रमिकों तथा अन्य लोगों की निगरानी व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की गई है। छात्र संगठनों का कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल जैसे संवेदनशील क्षेत्र के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

इस घटना के सामने आने के बाद छात्राओं के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि हॉस्टल के आसपास

कोई व्यक्ति लंबे समय तक संदिग्ध गतिविधि करता है तो सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी किस स्तर पर होती है। पुलिस की जांच में यह भी देखा जा रहा है कि वीडियो कहां बनाया गया, उसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति कौन है और वह निर्माणाधीन क्षेत्र में किस काम से मौजूद था। पुलिस के अनुसार, वीडियो की पुष्टि और व्यक्ति की पहचान के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसलिए अभी सामने आए दावों को अंतिम निष्कर्ष मानने के बजाय जांच के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है।

निरमा यूनिवर्सिटी में यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब संस्थान पहले से ही एक अन्य विवाद को लेकर चर्चा में है। हाल ही में एक छात्र कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर एचके पटेल द्वारा एक छात्र का कॉलर पकड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना के बाद छात्र संगठनों ने विरोध किया था और विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया था कि संबंधित शिक्षक और छात्र दोनों ने माफी मांगी है, लेकिन प्रक्रिया के तहत जांच जारी रहेगी और समिति की सिफारिश के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

इसके बाद प्रोफेसर एचके पटेल से जुड़ा एक अन्य पुराना वीडियो भी छात्र संगठनों की ओर से प्रसारित किया गया, जिसमें उनकी टी-शर्ट पर 'एचके द ब्रांड' लिखा दिखाई देता है। इस वीडियो के सामने आने से पहले से चल रहे विवाद को और हवा मिली। छात्र संगठनों ने इसे लेकर भी आपत्ति जताई। हालांकि, इस वीडियो का संदर्भ और समय क्या है, इसे लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं और इसकी स्वतंत्र पुष्टि के संबंध में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी बीच गर्ल्स हॉस्टल के पास कथित अश्लील हरकत का वीडियो सामने आने के बाद छात्रों ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विरोध तेज कर दिया। गुरुवार को कई छात्र-छात्राएं काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रशासन से छात्राओं की सुरक्षा के लिए, ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के पीछे छात्रों की मुख्य चिंता यह रही कि शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं को परिसर और हॉस्टल क्षेत्र में सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। मामले की जांच के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था में यदि कोई कमी सामने आती है तो उसे दूर करने की मांग भी उठाई गई है।

उधर सूरत के वराछा इलाके में स्थित एआर मॉल से सामने आया मामला भी सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मॉल की चौथी मंजिल पर एक युवक ने कथित तौर पर एक युवती से रास्ता पूछने के बहाने उसके सामने अश्लील हरकत की। युवती ने स्थिति को नजरअंदाज करते हुए वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की और लिफ्ट की ओर चली गई। रिपोर्ट के अनुसार, युवक ने कुछ दूरी तक उसका पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन युवती को लिफ्ट की ओर जाते देखकर वापस लौट गया। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया है। मॉल जैसे सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। ऐसी घटनाओं में फुटेज की मदद से संदिग्ध व्यक्ति की पहचान, घटना का समय और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जांच एजेंसियों को सहायता मिल सकती है। हालांकि किसी वायरल वीडियो के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई किया जाना जरूरी है।

अहमदाबाद और सूरत की इन घटनाओं ने एक व्यापक सवाल जरूर खड़ा किया है कि शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों, निर्माण क्षेत्रों, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह अधिक प्रभावी बनाया जाए। केवल सीसीटीवी कैमरे लगाना ही पर्याप्त नहीं है। कैमरों की नियमित निगरानी, संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, प्रवेश और निकास व्यवस्था, बाहरी श्रमिकों और कर्मचारियों का सत्यापन तथा शिकायत मिलने पर तत्काल प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से गर्ल्स हॉस्टल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छात्राओं की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनना जरूरी है। छात्राओं को यह भरोसा होना चाहिए कि किसी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत करने पर उनकी बात सुनी जाएगी और उनकी पहचान तथा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह की अभद्रता या अश्लील व्यवहार की शिकायत मिलने पर सुरक्षा कर्मियों और संबंधित प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। निरमा यूनिवर्सिटी मामले में पुलिस द्वारा वीडियो की सत्यता और घटनास्थल की पुष्टि की जा रही है तथा संबंधित व्यक्ति की पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं सूरत की घटना में सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने मॉल की सुरक्षा व्यवस्था और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों की सतर्कता पर भी चर्चा शुरू कर दी है। दोनों मामलों में जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटनाओं के पीछे पूरी परिस्थितियां क्या थीं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ किस स्तर की कार्रवाई बनती है। इन घटनाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा केवल किसी एक संस्था या सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन, मॉल प्रबंधन, सुरक्षा कर्मियों, पुलिस और आम नागरिकों—सभी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते संबंधित अधिकारियों को सूचना देना ऐसी घटनाओं को गंभीर रूप लेने से रोक सकता है। वायरल वीडियो के दौर में किसी घटना की सूचना तेजी से फैल जाती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। संवेदनशील घटनाओं के वीडियो को बिना जरूरत प्रसारित करना पीड़ित की निजता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जांच में सहयोग करते हुए संबंधित फुटेज पुलिस या अधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध कराना और पीड़ित की पहचान सार्वजनिक न करना जरूरी है।

फिलहाल अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के पास सामने आए कथित अश्लील कृत्य और सूरत के एआर मॉल में युवती के साथ कथित अभद्र व्यवहार ने गुजरात में महिला सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामला शैक्षणिक परिसर से जुड़ा है तो दूसरा सार्वजनिक मॉल से, लेकिन दोनों में एक समान चिंता सामने आती है—सुरक्षित वातावरण और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई। पुलिस जांच और संस्थागत स्तर पर उठाए जाने वाले कदम यह तय करेंगे कि इन घटनाओं की वास्तविकता क्या थी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से स्पष्ट, प्रभावी और भरोसेमंद व्यवस्था की मांग तेज हो गई है।

माल लदान में तेजी से बढ़ी रेलवे की कमाई, 118 लॉन्ग हॉल ट्रेनों का संचालन; एक दिन में 3,899 वैगन लोडिंग का रिकॉर्ड

अहमदाबाद। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने सितंबर 2026 में माल ढुलाई और परिचालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन दर्ज करते हुए 636.18 करोड़ रुपये की माल आय अर्जित की। सितंबर 2025 में मंडल की माल ढुलाई आय 595.16 करोड़ रुपये रही थी। इस तरह एक वर्ष की तुलना में सितंबर 2026 में माल आय में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। माल ढुलाई में बढ़ोतरी के साथ मंडल ने लॉन्ग हॉल ट्रेनों के संचालन, दैनिक वैगन लोडिंग, मालगाड़ियों की औसत गति और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी पर इंटरचेंज के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया।

सितंबर के दौरान अहमदाबाद मंडल में कुल 4.559 मिलियन टन माल का लदान किया गया। इस दौरान औसत दैनिक लोडिंग 3,126.93 वैगन रही। माल परिवहन में वृद्धि को रेलवे के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल मंडल की माल आय में बढ़ोतरी हुई, बल्कि विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों तक माल की आवाजाही को भी गति मिली। मंडल में विभिन्न श्रेणियों के माल की लोडिंग में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें कोयला, उर्वरक, नमक, औद्योगिक नमक, ऑटोमोबाइल तथा अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

कोयले की औसत दैनिक लोडिंग सितंबर में 76.97 वैगन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.02 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह उर्वरक की लोडिंग में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। उर्वरक की औसत दैनिक लोडिंग 61.19 प्रतिशत बढ़कर 698.23 वैगन प्रतिदिन पहुंच गई। नमक और औद्योगिक नमक की लोडिंग में 7.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 304.03 वैगन प्रतिदिन रही। ऑटोमोबाइल लोडिंग भी 5.03 प्रतिशत बढ़कर 117.37 वैगन प्रतिदिन हो गई। अन्य वस्तुओं की लोडिंग में सबसे अधिक 47.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

माल परिवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए अहमदाबाद मंडल ने लॉन्ग हॉल ट्रेनों के संचालन पर भी विशेष जोर दिया। सितंबर 2026 में मंडल में कुल 118 लॉन्ग हॉल ट्रेनों का संचालन किया गया, जबकि सितंबर 2025 में ऐसी 78 ट्रेनें चलाई गई थीं। इस प्रकार लॉन्ग हॉल ट्रेनों के संचालन में 51.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अकेले गांधीधाम क्षेत्र में 95 लॉन्ग हॉल ट्रेनों का गठन किया गया। लंबी दूरी तक अधिक माल को एक साथ ले जाने वाली इन ट्रेनों के संचालन से माल परिवहन की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है और रेलवे के माल ढुलाई नेटवर्क का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

सितंबर के अंतिम दिन यानी 30 सितंबर को अहमदाबाद मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान एक दिन में सबसे अधिक माल लोडिंग का रिकॉर्ड बनाया। इस दिन मंडल में कुल 90 रेक के माध्यम से 3,899 वैगन लोड किए गए। इनमें अहमदाबाद क्षेत्र के 27 रेक में 1,110 वैगन तथा गांधीधाम क्षेत्र के 63 रेक में 2,789 वैगन शामिल रहे। यह एक दिन की लोडिंग के लिहाज से मंडल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे पहले 25 सितंबर को भी अहमदाबाद क्षेत्र में एक दिन में 30 रेक यानी 1,139 वैगन लोड किए गए थे।

मंडल ने पारंपरिक माल ढुलाई के साथ नए कारोबार के अवसरों को भी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। शिवलखा स्थित गति शक्ति कार्गो टर्मिनल से 8 सितंबर को पहली बार केएमटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर रेक के माध्यम से मिरज के लिए माल भेजा गया। इस नए कारोबार से रेलवे को 32.32 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के माध्यम से कंटेनर आधारित माल परिवहन को बढ़ावा मिलने से भविष्य में रेलवे के माल कारोबार के लिए नए अवसर पैदा होने की संभावना है। इसी क्रम में 23 सितंबर को सामाख्याली में सीएमएस कियोस्क भी शुरू किया गया। माल परिवहन से जुड़े कारोबार के साथ-साथ मंडल में परिचालन से संबंधित व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। सितंबर में यार्डिंग और स्टेबलिंग सहित मालगाड़ियों की औसत गति 14.93 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.28 प्रतिशत अधिक है। मालगाड़ियों की गति में यह सुधार परिचालन क्षमता और माल परिवहन की दक्षता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।

सितंबर के दौरान मंडल में 1,717 क्रैक ट्रेनों का संचालन किया गया। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का समयपालन 96.58 प्रतिशत रहा। इस अवधि में कुल 6,397 कोचिंग ट्रेनों का संचालन किया गया। यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ट्रेनों में 429 अतिरिक्त कोच लगाए गए। अतिरिक्त कोचों के प्रावधान से यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटिंग और बर्थ क्षमता बढ़ाने में मदद मिली।

अहमदाबाद मंडल के रेल परिचालन में इंटरचेंज के स्तर पर भी वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर 2026 में मंडल का औसत इंटरचेंज 226.10 ट्रेन प्रतिदिन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.23 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी के बिंदुओं पर औसत इंटरचेंज 103.14 ट्रेन प्रतिदिन रहा। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

डीएफसी के विस्तार और उसके बढ़ते उपयोग से मालगाड़ियों के संचालन को अधिक व्यवस्थित और तेज बनाने में मदद मिल रही है। अहमदाबाद मंडल देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़ा होने के कारण माल परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों और विभिन्न व्यापारिक केंद्रों से माल की आवाजाही में इस मंडल का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में माल लदान में वृद्धि रेलवे के साथ-साथ क्षेत्रीय औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सितंबर 2026 के प्रदर्शन में एक ओर जहां मंडल ने 636.18 करोड़ रुपये की माल आय हासिल की, वहीं दूसरी ओर 4.559 मिलियन टन माल लदान, 118 लॉन्ग हॉल ट्रेनों का संचालन और एक दिन में 3,899 वैगन लोडिंग जैसे आंकड़े भी सामने आए। माल ढुलाई की विभिन्न श्रेणियों में वृद्धि के साथ नए कार्गो कारोबार को जोड़ने, मालगाड़ियों की गति बढ़ाने और डीएफसी इंटरचेंज में सुधार के प्रयास भी दिखाई दिए।

अहमदाबाद मंडल के इस प्रदर्शन में माल परिवहन के साथ यात्री परिचालन को भी समान रूप से जारी रखा गया। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के 96.58 प्रतिशत समयपालन तथा विभिन्न ट्रेनों में 429 अतिरिक्त कोच लगाए जाने से यात्री सेवाओं पर भी ध्यान दिए जाने का संकेत मिलता है। इस तरह सितंबर का प्रदर्शन माल ढुलाई, परिचालन दक्षता, लॉन्ग हॉल ट्रेनों, डीएफसी उपयोग और यात्री सुविधाओं के विभिन्न क्षेत्रों में मंडल की गतिविधियों को रेखांकित करता है। रेलवे द्वारा माल परिवहन को बढ़ावा देने और नए कारोबार के अवसर विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बीच सितंबर में दर्ज 636.18 करोड़ रुपये की माल आय अहमदाबाद मंडल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आई है।

श्री सरस्वती महाविद्यालय में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का दिया संदेश

सूरत। जयदीप मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री सरस्वती महाविद्यालय आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, आभवा में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन, विचारों और आदर्शों को याद किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सूत की माला अर्पित कर पुष्पांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान सूत की माला अर्पित किए जाने का विशेष महत्व बताया गया। सूत और चरखा महात्मा गांधी के स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और श्रम के सम्मान से जुड़े विचारों के प्रतीक रहे हैं। विद्यार्थियों को बताया गया कि गांधीजी ने स्वदेशी को केवल वस्तुओं के उपयोग तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे आत्मनिर्भर समाज और देश के निर्माण से जोड़कर देखा। उनके विचारों में स्थानीय संसाधनों, श्रम और स्वावलंबन को विशेष महत्व दिया गया था। महाविद्यालय की प्रभारी

प्राचार्या स्वर्णिमा जैन ने विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सादगी, स्वच्छता और सेवा जैसे मूल्यों को गांधीजी के जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए विद्यार्थियों से इन आदर्शों को व्यवहार में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांधीजी के विचार केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आज भी व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करना भी है। विद्यार्थियों को अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को समझने, जरूरतमंदों की सहायता करने और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि सत्य, अनुशासन, स्वच्छता और सेवा जैसे गुण विद्यार्थी जीवन में विकसित किए जाएं तो उनका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ सकता है। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी विचारों पर भी चर्चा की गई। विद्यार्थियों को अपने घर, महाविद्यालय और आसपास के सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के साथ-साथ दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इसी तरह अहिंसा को केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित न रखते हुए विचारों और व्यवहार में संयम, सहनशीलता तथा दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान के रूप में समझने पर जोर दिया गया। गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े आदर्शों को अपने दैनिक व्यवहार में अपनाने की प्रेरणा ली। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विद्यार्थियों में राष्ट्रसेवा, समाजसेवा और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में महाविद्यालय की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. योगिता शारदा और कैंपस डायरेक्टर श्यामली बरगले का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के जीवन और उनके मूल्यों से जोड़ने के साथ सामाजिक जिम्मेदारी, स्वच्छता, सेवा, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझने का अवसर प्रदान किया।

ताप्ती नदी किनारे स्वच्छता के लिए जुटे 200 से अधिक लोग, 4 टन कचरा और मलबा हटाया

भुसावल। मध्य रेल के भुसावल मंडल में 'स्वच्छता ही सेवा 2026' अभियान के तहत बुधवार को ताप्ती नदी के समीप ताप्ती पंप हाउस क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। गणेश विसर्जन के बाद नदी तथा आसपास के इलाकों में जमा हुए कचरे, अपशिष्ट और मलबे को हटाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान के दौरान 200 से अधिक लोगों ने सामूहिक श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया और करीब 4 टन कचरा तथा मलबा हटाकर क्षेत्र को साफ किया।

स्वच्छता अभियान का नेतृत्व मंडल रेल प्रबंधक पुनीत अग्रवाल ने किया। उनके साथ अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण कुमार पाठक, अपर मंडल रेल प्रबंधक एम.के. मीणा सहित मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षुओं, रेलवे सुरक्षा बल के जवानों तथा भारत स्काउट्स एवं

गाइड्स के स्वयंसेवकों ने भी अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के एक साथ श्रमदान करने से अभियान को व्यापक रूप मिला और ताप्ती पंप हाउस क्षेत्र में लंबे समय से जमा अपशिष्ट को व्यवस्थित तरीके से हटाया गया।

गणेश विसर्जन के बाद नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में फूल-माला, पूजन सामग्री, प्लास्टिक, अन्य घरेलू अपशिष्ट तथा मलबा जमा हो गया था। इसके कारण नदी किनारे के क्षेत्र की स्वच्छता प्रभावित हुई थी। अभियान के दौरान इन सभी प्रकार के कचरे को अलग-अलग स्थानों से एकत्र किया गया और निर्धारित व्यवस्था के तहत हटाया गया। कचरे को बाहर निकालने के लिए दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और दो छोटी ट्रॉलियों की सहायता ली गई। अभियान के दौरान लगभग 4 टन कचरा और मलबा एकत्र कर क्षेत्र से बाहर ले जाया गया।

रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्वयंसेवकों ने नदी किनारे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर सफाई की। अभियान में शामिल लोगों ने हाथों में सफाई उपकरण लेकर कचरा एकत्र किया और नदी के आसपास के हिस्सों को साफ किया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि सफाई के बाद कचरा दोबारा नदी या उसके आसपास के क्षेत्र में न पहुंचे। अभियान के माध्यम से रेलवे प्रशासन ने स्वच्छता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के साथ-साथ प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण का संदेश भी दिया।

ताप्ती नदी भुसावल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलस्रोतों में शामिल है। ऐसे में नदी के आसपास स्वच्छता बनाए रखना पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। गणेश विसर्जन जैसे धार्मिक आयोजनों के बाद बड़ी मात्रा में पूजन सामग्री और अन्य अपशिष्ट जलस्रोतों के आसपास जमा हो सकते हैं। इन्हें समय पर हटाना नदी की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य से रेलवे प्रशासन की ओर से यह विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्वच्छता को केवल एक दिन या किसी विशेष कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय इसे नियमित आदत और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने पर जोर दिया। प्रतिभागियों को बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों, रेलवे परिसरों और प्राकृतिक जलस्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि लोग अपने आसपास कचरा फैलाने से बचें और अपशिष्ट को निर्धारित स्थान पर डालें तो स्वच्छता अभियान को स्थायी परिणाम मिल सकते हैं।

पॉलिएस्टर यार्न की कीमतों में उछाल से सूरत के बुनकर परेशान, केंद्र से जांच और हस्तक्षेप की मांग

सूरत। पॉलिएस्टर यार्न की कीमतों में कथित तौर पर लगातार हो रही बढ़ोतरी ने सूरत के टेक्सटाइल उद्योग में चिंता बढ़ा दी है। यार्न की बढ़ती लागत का सीधा असर बुनकरों और फैब्रिक निर्माताओं की उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर सचिन वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन, रिंग रोड-सूरत (SWWAR) ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए यार्न की मौजूदा कीमतों की व्यापक जांच कराने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि घरेलू बाजार में पॉलिएस्टर यार्न की कीमतों की तुलना अंतरराष्ट्रीय बाजार की मौजूदा FOB कीमत, आयात की लैंडेड कॉस्ट और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख इनपुट की लागत से की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घरेलू कीमतों में हालिया तेजी के पीछे वास्तविक लागत कितनी है और बाजार की परिस्थितियों की भूमिका कितनी है।

सचिन वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में सूरत के टेक्सटाइल उद्योग के पैमाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि सचिन GIDC क्षेत्र डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां रैपियर, जैक्वार्ड, एयरजेट, वॉटरजेट और प्लेन लूम्स समेत विभिन्न प्रकार की बुनाई इकाइयां संचालित होती हैं। सूरत को देश के प्रमुख टेक्सटाइल और मैन-मेड फाइबर (MMF) केंद्रों में गिना जाता है और यहां यार्न की कीमतों में होने वाला बदलाव सीधे फैब्रिक उत्पादन की लागत और बाजार की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। एसोसिएशन के अनुसार सूरत में प्रतिदिन करीब छह करोड़ मीटर ग्रे कपड़े का उत्पादन होता है। इस विशाल उत्पादन के लिए हर महीने लगभग 1.51 लाख मीट्रिक टन पॉलिएस्टर यार्न की खपत होने का दावा किया गया है। इसमें लगभग 60 प्रतिशत हिस्सेदारी DTY यानी Draw Textured Yarn की बताई गई है। ऐसे में यार्न की कीमत में मामूली बदलाव भी बुनकरों की कुल लागत पर व्यापक असर डाल सकता है। एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में यार्न की कीमतों में हुई तेजी ने छोटे और मध्यम स्तर के बुनकरों के सामने लागत और बिक्री मूल्य के बीच संतुलन बनाए

रखने की चुनौती बढ़ा दी है। एसोसिएशन ने दावा किया है कि जून 2026 के बाद से पॉलिएस्टर यार्न की कीमतों में लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी को लेकर सचिन GIDC क्षेत्र के बुनकरों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने बढ़ती लागत, बाजार की प्रतिस्पर्धा और तैयार कपड़े की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की। बुनकरों का कहना है कि यार्न की लागत बढ़ने के बावजूद तैयार फैब्रिक के बाजार में उसी अनुपात में कीमत बढ़ाना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे में उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर उनकी मार्जिन पर असर डाल सकता है।

एसोसिएशन का कहना है कि यार्न की कीमतों में तेजी को कुछ पक्ष कच्चे माल और फीडस्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जोड़ रहे हैं। हालांकि, एसोसिएशन के मुताबिक केवल कच्चे माल की कीमतों को आधार बनाकर घरेलू बाजार में यार्न की मौजूदा कीमतों का आकलन करना पर्याप्त नहीं होगा। संगठन ने सरकार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कीमतों और घरेलू कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन कराने की मांग की है। उसके अनुसार FOB कीमत, आयात के बाद वास्तविक लैंडेड कॉस्ट, सीमा शुल्क, परिवहन और अन्य लागतों को अलग-अलग देखते हुए पूरी मूल्य श्रृंखला की जांच की जानी चाहिए।

एसोसिएशन ने अपने पत्र में कीमतों के अंतर का उदाहरण भी दिया है। संगठन के अनुसार सितंबर में सूरत में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले 50/36 ब्राइट यार्न की अंतरराष्ट्रीय FOB कीमत लगभग 141 रुपये प्रति किलो थी, जबकि स्थानीय बाजार में इसकी कीमत करीब 152 रुपये प्रति किलो बताई गई। हालांकि, एसोसिएशन ने स्वयं यह भी माना है कि अंतरराष्ट्रीय कीमत और घरेलू बाजार में वास्तविक आयात लागत एक समान नहीं होती। आयातित यार्न की कीमत में समुद्री माल ढुलाई, बीमा, सीमा शुल्क, पोर्ट संबंधी खर्च, स्थानीय परिवहन और अन्य लागत जुड़ती हैं। इसलिए किसी भी तुलना के लिए केवल FOB कीमत नहीं, बल्कि पूरी लैंडेड कॉस्ट को आधार बनाना जरूरी है। समुद्री माल ढुलाई की बढ़ी हुई लागत भी इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एसोसिएशन के मुताबिक युद्ध से पहले आयातित यार्न पर माल ढुलाई की लागत लगभग 2.50 रुपये प्रति किलो के आसपास थी, जो समुद्री मार्गों में आई बाधाओं के कारण बढ़कर करीब 18 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। संगठन का कहना है कि माल ढुलाई में इस वृद्धि ने आयातित यार्न की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया है। पहले जिस कीमत पर विदेशी यार्न घरेलू बाजार को चुनौती दे सकता था, उसमें अब अतिरिक्त लॉजिस्टिक लागत जुड़ने से आयातकों के लिए परिस्थितियां बदल गई हैं। सचिन वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इसी स्थिति को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में उठाया है। संगठन का आरोप है कि आयात से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा कमजोर होने और अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई लागत बढ़ने की स्थिति का लाभ कुछ घरेलू स्पिनर्स द्वारा उठाया जा सकता है। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस संबंध में किसी सरकारी जांच का निष्कर्ष भी सामने नहीं आया है। इसलिए एसोसिएशन की इस आशंका को फिलहाल उसके द्वारा उठाई गई मांग और उद्योग संबंधी चिंता के रूप में ही देखा जा रहा है।

एसोसिएशन ने FDY यानी Fully Drawn Yarn की कीमतों को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार के बीच अंतर का उल्लेख किया है। संगठन के मुताबिक पिछले चार महीनों के दौरान विभिन्न ग्रेड के FDY यार्न की अंतरराष्ट्रीय FOB कीमतें स्थानीय बाजार में उपलब्ध कीमतों से करीब 11 से 48 रुपये प्रति किलो तक कम रही हैं। एसोसिएशन का कहना है कि यदि यह अंतर वास्तविक लागतों को समायोजित करने के बाद भी बना रहता है तो इसकी वजहों की जांच आवश्यक है। संगठन के अनुसार कीमतों का यह अंतर भारतीय फैब्रिक निर्माताओं की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है। सूरत का टेक्सटाइल उद्योग केवल घरेलू बाजार के लिए उत्पादन नहीं करता, बल्कि देश के निर्यात कारोबार में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में यार्न की लागत बढ़ने का असर केवल बुनकरों तक सीमित नहीं रहता। इसकी श्रृंखला में फैब्रिक निर्माता, प्रोसेसर, ट्रेडर्स और निर्यातक भी प्रभावित होते हैं। यदि उत्पादन लागत लगातार बढ़ती है और अंतरराष्ट्रीय खरीदार उसी अनुपात में कीमत स्वीकार नहीं करते, तो भारतीय उत्पादकों के लिए विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी कारण एसोसिएशन ने यार्न की कीमतों के मुद्दे को टेक्सटाइल निर्यात के व्यापक हित से जोड़ते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश एम. गामी और सचिव मयूर जे. गोलवाला ने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने दो प्रमुख बिंदुओं पर जांच की मांग रखी है। पहली मांग घरेलू पॉलिएस्टर FDY यार्न की कीमतों में कथित असामान्य बढ़ोतरी या संभावित कार्टेलाइजेशन की जांच से जुड़ी है। इसके तहत घरेलू कीमतों की तुलना मौजूदा अंतरराष्ट्रीय FOB कीमत, वास्तविक लैंडेड कॉस्ट और संबंधित इनपुट लागत से करने की मांग की गई है।

पत्नी को फंसाने पहुंचा था पुलिस के पास, खुल गया चार साल पुराना ट्रिपल मर्डर; आंगन की खुदाई में मिले मानव कंकाल

अहमदाबाद/सूरत। गुजरात के सूरत जिले के कोसांबा इलाके में चार साल से दफन तीन हत्याओं का ऐसा राज सामने आया है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। बाहर से सामान्य दिखाई देने वाले एक मकान के आंगन के नीचे वर्षों से दबा यह रहस्य तब सामने आया, जब एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी और उसके रिश्तेदार को हत्या के मामले में फंसाने के लिए पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने उसकी शिकायत पर जांच शुरू की तो कहानी कुछ और ही निकली। पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता की भूमिका संदिग्ध हुई और पुलिस के अनुसार उसने 2022 में परिवार की तीन महिलाओं की हत्या में अपनी और अपनी पत्नी की कथित संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद उसकी निशानदेही पर वडफालिया स्थित मकान के आंगन में खुदाई की गई, जहां करीब चार से पांच फीट नीचे मानव अवशेष बरामद हुए। मामले में माधवदास भक्तिराम साधु और उसकी पत्नी उर्मिला उर्फ जया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अब बरामद अवशेषों की फोरेंसिक जांच के साथ हत्या के पीछे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ रही है।

पुलिस के मुताबिक इस मामले का खुलासा मूल रूप से शांताबेन गंभीरभाई वसावा की कथित हत्या की शिकायत से हुआ। माधवदास ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और कोसांबा पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी उर्मिला और उसके चचेरे भाई अफजल ने शांताबेन की हत्या की है तथा शव को घर के भीतर दफना दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। अफजल से पूछताछ की गई, लेकिन जांच में उसकी संलिप्तता सामने नहीं आई। इसके बाद पुलिस का ध्यान शिकायतकर्ता माधवदास की ओर गया। पूछताछ आगे बढ़ी तो पुलिस के अनुसार उसके बयान में विरोधाभास सामने आए और अंततः उसने कथित तौर पर पूरा घटनाक्रम बता दिया।

पुलिस जांच में सामने आया कि मामला केवल शांताबेन की हत्या तक सीमित नहीं था। वर्ष 2022 में परिवार की तीन महिलाओं की अलग-अलग समय पर मौत हुई थी। पुलिस का आरोप है कि इन तीनों मौतों के पीछे माधवदास और उसकी पत्नी उर्मिला की भूमिका थी। मृतकों की पहचान उर्मिला की बहन भगवतीबेन वसावा, माधवदास की मां मंजुलाबेन भक्तिराम साधु और उर्मिला की नानी शांताबेन गंभीरभाई वसावा के रूप में हुई है। तीनों महिलाओं की मौत को अलग-अलग परिस्थितियों में बीमारी या अन्य कारणों से हुई सामान्य मौत के रूप में पेश किए जाने का आरोप है। पुलिस अब इन घटनाओं से जुड़े दस्तावेजों, परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार पहली घटना 25 फरवरी 2022 की है। उस समय उर्मिला की बहन भगवतीबेन वसावा की कथित तौर पर तकिए से मुंह दबाकर हत्या की गई। भगवतीबेन पहले से टीबी से पीड़ित थीं। आरोप है कि उनकी बीमारी का फायदा उठाकर मौत को बीमारी के कारण हुई स्वाभाविक मौत के रूप में पेश किया गया। इसके बाद शव के निपटान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई और परिवार तथा आसपास के लोगों के सामने इसे सामान्य मृत्यु की तरह प्रस्तुत किया गया। इस घटना के समय किसी को यह अंदेशा नहीं हुआ कि कुछ महीनों बाद इसी परिवार में एक और महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने वाली है।

दूसरी घटना 19 जुलाई 2022 को सामने आई। पुलिस के अनुसार इस बार माधवदास की मां मंजुलाबेन भक्तिराम साधु को निशाना बनाया गया। मंजुलाबेन पैरालिसिस के कारण लंबे समय से बिस्तर पर थीं। आरोप है कि दंपती ने उनका भी तकिए से मुंह दबाकर दम घोंट दिया और उनकी मौत को बीमारी से हुई मौत के रूप में बताया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौत को लेकर भी उस समय कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आया। जांचकर्ताओं का कहना है कि इसी तरह पहली दो मौतों के बाद भी आरोपियों को तत्काल संदेह के घेरे में नहीं लिया गया।

इसके बाद तीसरी घटना ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस के अनुसार 7 अक्टूबर 2022 को उर्मिला की नानी शांताबेन गंभीरभाई वसावा की हत्या की गई। शांताबेन उस समय बुजुर्ग थीं और सो रही थीं। आरोप है कि उनकी भी तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। इस बार आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए ऐसी व्यवस्था की, जिसके कारण करीब चार वर्षों तक किसी को इस अपराध की भनक नहीं लगी। पुलिस के अनुसार शव को एक ड्रम में रखा गया और उसमें सीमेंट तथा पानी भरकर उसे सील कर दिया गया।

जांच में सामने आया कि करीब साढ़े तीन महीने तक शव को इसी स्थिति में रखने के बाद उसे घर के आंगन में दफनाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी दंपती ने आंगन में करीब चार से पांच फीट गहरा गड्ढा खोदा और सीमेंट से भरे ड्रम को उसमें दबा दिया। इसके बाद ऊपर से सीमेंट की मोटी परत डालकर फर्श को सामान्य रूप दे दिया गया। इस तरह जिस जगह पर घर के लोग रोजाना आते-जाते थे, उसी के नीचे हत्या का राज दफन हो गया। परिजनों और आसपास के लोगों को शांताबेन की मौत के बारे में अलग-अलग कहानी बताई गई। कोरोना काल की परिस्थितियों और उससे जुड़े नियमों का भी कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिससे मौत को लेकर ज्यादा सवाल न उठें।

चार साल तक यह मामला दबा रहा। फिर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और यही विवाद पुलिस के लिए उस रहस्य तक पहुंचने का रास्ता बन गया। पुलिस के अनुसार माधवदास ने अपनी पत्नी को फंसाने की कोशिश में खुद ही पुलिस से संपर्क किया। उसका दावा था कि शांताबेन की हत्या उसकी पत्नी उर्मिला और उसके चचेरे भाई अफजल ने की है। उसने पुलिस को घर में शव दबे होने की जानकारी भी दी। लेकिन जब पुलिस ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो अफजल की भूमिका सामने नहीं आई। इसके बाद जांच की दिशा शिकायतकर्ता की ओर मुड़ गई।

पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार माधवदास के बयानों में विसंगतियां सामने आईं। इसके बाद उससे विस्तार से पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में उसने पत्नी को फंसाने के लिए झूठी शिकायत करने की बात स्वीकार की और 2022 में हुई तीन हत्याओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसके बताए स्थान की जांच करने का फैसला किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और कोसांबा पुलिस की टीम वडफालिया स्थित मकान पर पहुंची और आंगन की पक्की सीमेंट की परत को हटाकर खुदाई शुरू की।

खुदाई के दौरान जमीन के करीब चार से पांच फीट नीचे से मानव अवशेष बरामद हुए। पुलिस के अनुसार वहां से सीमेंट से जुड़ा ड्रम भी मिला, जिसमें शांताबेन के अवशेष होने की आशंका जताई गई है। बरामद अवशेषों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। डीएनए और अन्य वैज्ञानिक जांच के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा कि बरामद अवशेष किसके हैं और उनकी पहचान किस प्रकार स्थापित होती है। पुलिस इस आधार पर मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

जांच में हत्या के पीछे संपत्ति, नकदी और अन्य कीमती सामान से जुड़ा संभावित मकसद भी सामने आया है। कुछ रिपोर्टों में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि आरोपियों का उद्देश्य परिवार की संपत्ति और कीमती सामान पर कब्जा करना हो सकता है। हालांकि इस मामले में अंतिम उद्देश्य और हत्या की पूरी साजिश को लेकर जांच अभी जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि तीनों घटनाओं की योजना किस तरह बनाई गई, प्रत्येक हत्या में दोनों आरोपियों की भूमिका क्या थी और क्या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी स्तर पर उनकी मदद की थी।

इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीन महिलाओं की मौतें एक ही परिवार में कुछ महीनों के अंतराल पर हुईं, लेकिन उन्हें उस समय सामान्य या बीमारी से जुड़ी मौतों के रूप में पेश किए जाने का आरोप है। कोरोना महामारी के दौर में मौत और अंतिम संस्कार से जुड़ी परिस्थितियां भी अलग थीं। इसी वजह से पुलिस के अनुसार आरोपियों को लंबे समय तक संदेह से बचने का मौका मिला। अब चार साल बाद एक व्यक्ति द्वारा की गई कथित झूठी शिकायत ने उसी अपराध का पर्दाफाश कर दिया, जिसे छिपाने के लिए इतनी लंबी साजिश रची गई थी।

पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में इस मामले को लेकर चर्चा है। जिस मकान के आंगन के नीचे वर्षों तक कुछ दबा होने का किसी को अंदाजा नहीं था, वहां पुलिस और फोरेंसिक टीम की मौजूदगी ने लोगों को हैरान कर दिया। अब जांच एजेंसियां बरामद अवशेषों, पुराने रिकॉर्ड, रिश्तेदारों के बयान और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चार साल पुराने घटनाक्रम को दोबारा जोड़ रही हैं।

फिलहाल पुलिस ने माधवदास और उर्मिला को गिरफ्तार कर मामले की जांच आगे बढ़ा दी है। बरामद मानव अवशेषों की फोरेंसिक जांच, डीएनए परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों महिलाओं की मौत से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया है कि वर्षों तक दबा हुआ कोई मामला किस तरह एक छोटी-सी सूचना और पुलिस की गहन पूछताछ के बाद सामने आ सकता है। चार साल पहले हुई तीन संदिग्ध मौतों का यह मामला अब हत्या की जांच में बदल चुका है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस कथित साजिश की पूरी तस्वीर क्या थी और इसके पीछे वास्तविक मकसद क्या था।

19.9 किमी रेलखंड पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग शुरू, कसबे सुकेणे और खेरवाड़ी में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बढ़ी

भुसावल। सिंहस्थ कुंभ-2027 के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की संभावित भीड़ और रेल यातायात को सुचारु बनाए रखने की तैयारियों के बीच मध्य रेल के भुसावल मंडल ने रेल परिचालन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया है। मंडल ने निफाड़–कसबे सुकेणे–खेरवाड़ी–ओढ़ा के बीच 19.9 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग तथा यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करते हुए आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था को कमीशन कर दिया है। इस परियोजना को सिंहस्थ कुंभ-2027 की तैयारियों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल किया गया है।

इस कार्य के पूरा होने के बाद संबंधित रेलखंड पर ट्रेनों के संचालन और सिग्नलिंग व्यवस्था को अधिक आधुनिक तथा व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। परियोजना के तहत कसबे सुकेणे और खेरवाड़ी स्टेशनों पर दो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली कमीशन की गई हैं। इसके साथ ही तीन ऑटो हट्स तथा चार लेवल क्रॉसिंग से जुड़े आवश्यक कार्य भी पूरे किए गए हैं। रेल प्रशासन के अनुसार निर्धारित समय में परियोजना को पूरा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ के दौरान इस रेल मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है।

नए सिस्टम के तहत 19.9 किलोमीटर लंबे रेलखंड में चार-पहलू ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू की गई है। यह प्रणाली रेल यातायात को नियंत्रित करने और ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके तहत कसबे सुकेणे स्टेशन पर 76 रूट और खेरवाड़ी स्टेशन पर 70 रूट वाली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली कमीशन की गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के माध्यम से स्टेशन के विभिन्न रूटों पर ट्रेनों के आवागमन को निर्धारित सिग्नलिंग व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित किया जा सकेगा।

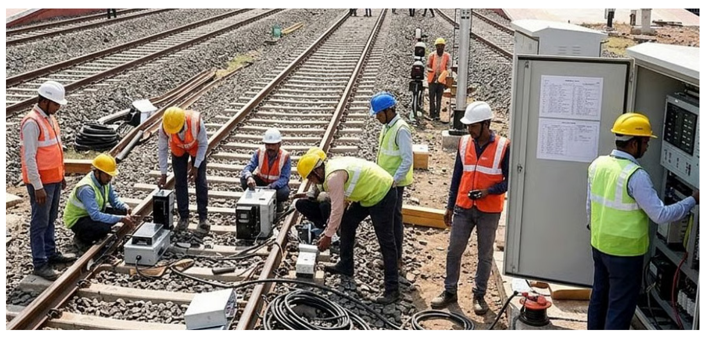

परियोजना के तहत तीन ऑटो हट्स में Siemens Mark-II इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रेलखंड पर 10 नए ऑटोमैटिक सिग्नल तथा 20 सेमी-ऑटोमैटिक सिग्नल लगाए गए हैं। नई सिग्नलिंग व्यवस्था के लागू होने से रेल यातायात के संचालन में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा और विभिन्न परिचालन स्थितियों में सिग्नलिंग सिस्टम की विश्वसनीयता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम में अप और डाउन दोनों लाइनों पर कुल 100 Frauscher MSDAC-DP लगाए गए हैं। ये उपकरण ट्रैक पर ट्रेन की मौजूदगी का पता लगाने वाली प्रणाली का हिस्सा हैं। दोनों स्टेशनों के यार्ड में ड्युअल डिटेक्शन व्यवस्था के लिए 111 Siemens ACM-200 DP लगाए गए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रेन डिटेक्शन प्रणाली में अतिरिक्त विश्वसनीयता उपलब्ध कराना है, जिससे परिचालन सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। सिग्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के बीच संचार तथा डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2×48 फाइबर ओएफसी भी बिछाई गई है। आधुनिक रेलवे सिग्नलिंग व्यवस्था में तेज और भरोसेमंद संचार नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न प्रणालियों के बीच डेटा संचार को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। परियोजना में केवल सिग्नलिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि सुरक्षा और विश्वसनीयता से जुड़े अतिरिक्त प्रावधान भी किए गए हैं। इसके तहत ईएलडी, फ्यूज अलार्म सेफ्टी तथा आरडीएसओ-अनुमोदित अग्नि अलार्म प्रणाली स्थापित की गई है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से सिग्नलिंग उपकरणों की सुरक्षा, संभावित तकनीकी गड़बड़ियों की पहचान और अग्नि संबंधी जोखिमों से निपटने की क्षमता को मजबूत किया गया है। इस परियोजना को सिंहस्थ कुंभ-2027 की तैयारियों से जुड़ा पहला नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य बताया गया है, जिसे निर्धारित समयसीमा में पूरा किया गया। नॉन-इंटरलॉकिंग कार्यों के दौरान रेल परिचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं और इसके लिए विस्तृत तकनीकी समन्वय की आवश्यकता होती है। परियोजना के तहत निफाड़ और ओढ़ा स्टेशनों पर पैनल इंटरलॉकिंग से संबंधित कार्य किए गए। इसके साथ ही चार लेवल क्रॉसिंग गेटों में भी आवश्यक बदलाव पूरे किए गए हैं।

परियोजना के तहत सभी पांच इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में ड्युअल आईपी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह व्यवस्था संचार नेटवर्क में अतिरिक्त विश्वसनीयता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रणाली में किसी एक संचार मार्ग में समस्या आने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रहने से परिचालन संबंधी प्रणालियों की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। सिंहस्थ कुंभ-2027 के दौरान नासिक और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए रेलवे की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान यात्री ट्रेनों के साथ-साथ नियमित रेल परिचालन को भी व्यवस्थित बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए स्टेशन, ट्रैक, सिग्नलिंग, यार्ड और लेवल क्रॉसिंग जैसी व्यवस्थाओं को समय से पहले तैयार करना आवश्यक होता है।

भुसावल मंडल द्वारा निफाड़–कसबे सुकेणे–खेरवाड़ी–ओढ़ा रेलखंड पर आधुनिक सिग्नलिंग और यार्ड से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा किए जाने से सिंहस्थ की तैयारियों को गति मिली है। परियोजना में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ऑटोमैटिक सिग्नलिंग, ट्रेन डिटेक्शन उपकरण, फाइबर ऑप्टिक संचार नेटवर्क तथा सुरक्षा प्रणालियों का समावेश किया गया है। रेल प्रशासन के लिए इस परियोजना की समयबद्ध पूर्णता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ रेल यातायात को अधिक कुशलता और सुरक्षा के साथ संचालित करने की आवश्यकता होती है। नई व्यवस्था से संबंधित रेलखंड पर सिग्नलिंग क्षमता को आधुनिक बनाने के साथ परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक तकनीकी आधार प्रदान किया गया है। भुसावल मंडल की इस उपलब्धि से यह भी स्पष्ट होता है कि सिंहस्थ कुंभ-2027 के लिए रेलवे स्तर पर आधारभूत संरचना और परिचालन व्यवस्था को पहले से मजबूत करने की दिशा में कार्य जारी है। 19.9 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग की कमीशनिंग, दो प्रमुख स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, तीन ऑटो हट्स, चार लेवल क्रॉसिंग तथा आधुनिक संचार और सुरक्षा प्रणालियों का प्रावधान आने वाले समय में इस मार्ग के सुरक्षित और व्यवस्थित रेल संचालन के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है।

आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बीच रिश्तों को समय देना जरूरी, एसजीसीसीआई लेडीज विंग के कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताए स्वस्थ रिश्तों के सूत्र

सूरत। आधुनिक जीवनशैली में बढ़ती व्यस्तता, काम का दबाव और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के बीच परिवार तथा सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे समय में रिश्तों में संवाद, समझ, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी उद्देश्य से द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) की लेडीज विंग की ओर से 'S.M.A.R.T. रिश्ते कैसे बनाएं' विषय पर एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने रोजमर्रा के पारिवारिक जीवन में आने वाली परिस्थितियों, मतभेदों और भावनात्मक चुनौतियों को समझाते हुए स्वस्थ एवं मजबूत रिश्ते बनाने के व्यावहारिक तरीके बताए।

24 सितंबर 2026 को सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के एसपीबी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में साइकेट्रिस्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट एवं सोशल एंटरप्रेन्योर डॉ. तृप्ति चौधरी पटेल ने कीनोट स्पीकर के रूप में मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल रिश्तों की समस्याओं पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि प्रतिभागियों को ऐसी व्यावहारिक समझ देना था, जिससे वे अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकें तथा छोटे-छोटे मतभेदों को बड़े विवाद में बदलने से रोक सकें।

चैंबर के प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने स्वागत संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में लोग अपने व्यावसायिक और पेशेवर जीवन में सफलता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन इसी भागदौड़ के बीच कई बार व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते। उन्होंने कहा कि रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, बल्कि उन्हें मजबूत

बनाए रखने के लिए प्यार, संवाद, समझ और समय की आवश्यकता होती है।

अशोक जीरावाला ने कहा कि रिश्तों में कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं से अधिक अपने अहं को महत्व देने लगता है। ऐसे में छोटी-सी बात भी विवाद का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि भावनाएं ईगो से बड़ी होती हैं और किसी रिश्ते को बचाने के लिए कभी-कभी अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय समझौता करना तथा अपनी गलती स्वीकार करना ही रिश्ते की वास्तविक जीत हो सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रिश्तों में जीत-हार की भावना के बजाय एक-दूसरे को समझने और साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए।

कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ. तृप्ति चौधरी पटेल ने प्रतिभागियों को विभिन्न प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और लाइव रोल-प्ले के माध्यम से रिश्तों की जटिलताओं को समझाया। उन्होंने बताया कि परिवार के भीतर होने वाले अनेक विवाद किसी बड़ी समस्या के कारण नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों, गलतफहमी, संवाद की कमी और एक-दूसरे की अपेक्षाओं को ठीक से न समझ पाने के कारण पैदा होते हैं।

कार्यक्रम में सास-बहू, पति-पत्नी तथा माता-पिता और बच्चों के बीच होने वाली सामान्य परिस्थितियों को रोल-प्ले के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इन उदाहरणों के जरिए यह समझाने का प्रयास किया गया कि एक ही परिस्थिति में अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया देने पर रिश्ते का परिणाम किस प्रकार बदल सकता है। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि किसी विवाद के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुककर दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया जाए तो कई समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है।

डॉ. तृप्ति पटेल ने कहा कि स्मार्ट और स्वस्थ रिश्तों की शुरुआत स्वयं को समझने से होती है। उन्होंने बताया कि कई बार व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों, धारणाओं और व्यवहार के आधार पर बिना सोचे प्रतिक्रिया देने लगता है। यह प्रतिक्रिया धीरे-धीरे उसके व्यवहार का 'ऑटो-मोड' बन जाती है और व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि उसकी प्रतिक्रिया सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित कर रही है।

उन्होंने रिश्तों में दिखाई देने वाले छह प्रमुख व्यवहार पैटर्न पर भी चर्चा की। इनमें दूसरों को खुश रखने के लिए लगातार अपनी जरूरतों की उपेक्षा करना, किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचना, हर समस्या का तत्काल समाधान तलाशने की कोशिश करना, दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करना, समस्या या टकराव से बचना तथा बिना सोचे तत्काल प्रतिक्रिया देना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन व्यवहारों को पहचानना रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

रिश्तों में होने वाले मतभेदों को सकारात्मक तरीके से संभालने के लिए डॉ. तृप्ति पटेल ने '5 A's' का फॉर्मूला भी समझाया। इसमें Avoid अर्थात अनावश्यक बहस और विवाद से बचना, Assert अर्थात अपनी भावनाओं और विचारों को सम्मानपूर्वक स्पष्ट करना, Alter अर्थात आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव करना, Adjust अर्थात आपसी सम्मान के साथ आवश्यक समझौता करना और Accept अर्थात व्यक्ति के स्वभाव या परिस्थितियों की वास्तविकता को स्वीकार करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का स्वभाव, सोच और परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए हर रिश्ते में एक जैसा व्यवहार काम नहीं कर सकता। कई बार रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव करना पड़ता है। वहीं कुछ परिस्थितियों में यह स्वीकार करना भी जरूरी होता है कि सामने वाले व्यक्ति को तुरंत बदला नहीं जा सकता। ऐसे में संवाद और समझ के माध्यम से रिश्ते को संतुलित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

डॉ. पटेल ने परिवार को एक टीम के रूप में देखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार में यदि सदस्य एक-दूसरे की उपलब्धियों की सराहना करें, जरूरत के समय साथ खड़े रहें और अपनी गलती होने पर बिना झिझक 'सॉरी' कह सकें तो रिश्तों में विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने यह भी बताया कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते को महत्व देने का संकेत हो सकता है। इसी तरह दूसरे व्यक्ति की छोटी उपलब्धियों की सराहना भी भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करती है।

साबरमती से वटवा तक 15 किलोमीटर रेल ट्रैक की होगी सफाई, अधिकारी-कर्मचारी करेंगे श्रमदान

अहमदाबाद। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर को अहमदाबाद मंडल में व्यापक 'स्वच्छ ट्रैक मेगा अभियान' चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से रेलवे ट्रैक, स्टेशनों, यार्ड, रेलवे परिसरों और रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ कर्मचारियों और आम लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस अभियान में रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अभियान के दौरान मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश स्वयं अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साबरमती से वटवा तक करीब 15 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक और संबंधित स्टेशनों पर सफाई अभियान में शामिल होंगे। इस दौरान रेल ट्रैक के आसपास जमा कचरे, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट को हटाने के साथ रेलवे परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान को एक साथ कई स्थानों पर चलाने की योजना

बनाई गई है, ताकि कम समय में अधिक क्षेत्र को स्वच्छ किया जा सके। अहमदाबाद मंडल की ओर से अभियान के तहत प्रत्येक स्टेशन पर स्थानीय स्तर पर भी व्यापक श्रमदान किया जाएगा। स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, सफाईकर्मी तथा अन्य रेलवे कर्मचारी अपने होम स्टेशन से अगले स्टेशन तक के रेल ट्रैक और आसपास के परिसर की सफाई में हिस्सा लेंगे। इसके जरिए रेल लाइन के किनारे तथा स्टेशनों के बीच के क्षेत्रों में भी स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

अभियान केवल रेल ट्रैक तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत स्टेशनों, यार्ड, रेलवे कॉलोनियों और ट्रैक के किनारे स्थित विभिन्न क्षेत्रों में भी एक साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा। रेलवे परिसरों में जमा कचरे को हटाने, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने और यात्रियों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सामूहिक भागीदारी से अभियान को व्यापक रूप देने की तैयारी की गई है।

'स्वच्छ ट्रैक मेगा अभियान' में रेलवे सुरक्षा बल के जवान भी भाग लेंगे। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के परिवारों तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को भी अभियान से जोड़ा गया है। सामूहिक श्रमदान के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है।

महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित इस अभियान के जरिए स्वच्छता के प्रति गांधीजी के विचारों को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया जाएगा। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य स्वच्छता को केवल किसी विशेष दिवस या अभियान तक सीमित रखने के बजाय इसे नियमित आदत और जिम्मेदारी के रूप में विकसित करना है। इसके लिए रेल कर्मचारियों के साथ यात्रियों और आम नागरिकों को भी रेलवे परिसरों में कचरा नहीं फैलाने तथा निर्धारित स्थानों पर ही अपशिष्ट डालने के प्रति जागरूक किया जाएगा। रेलवे ट्रैक के आसपास स्वच्छता बनाए रखना परिचालन और पर्यावरण दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ट्रैक किनारे जमा प्लास्टिक, कचरा और अन्य अपशिष्ट से जहां रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित होती है, वहीं इससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में मेगा अभियान के माध्यम से ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने के साथ स्वच्छता के प्रति दीर्घकालिक जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। अहमदाबाद मंडल की ओर से 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाला यह अभियान स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सामूहिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। साबरमती से वटवा तक करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी से होने वाले श्रमदान के साथ विभिन्न स्टेशनों, यार्ड और रेलवे कॉलोनियों में भी सफाई गतिविधियां संचालित की जाएंगी। रेलवे प्रशासन ने अभियान में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, परिवारों और स्वयंसेवी संगठनों से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है, ताकि रेलवे परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने की दिशा में सामूहिक प्रयास को और मजबूत किया जा सके।

सूरत की ट्रैफिक व्यवस्था पर विधायक ने उठाए आठ सवाल, डंपर ट्रक, एयर हॉर्न, अवैध पार्किंग और रिक्शों पर कार्रवाई की मांग

सूरत। शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और यातायात व्यवस्था को लेकर वराछा विधायक कुमार कानानी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि यदि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, तो प्रतिबंधित समय में शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों, डंपरों, खुले में रेत-मिट्टी ले जाने वाले वाहनों, एयर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाली बसों तथा यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कानानी ने अपने पत्र में ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े आठ अलग-अलग मुद्दे उठाते हुए पुलिस विभाग से कार्रवाई और जवाब की मांग की है।

कानानी ने अपने पत्र में कहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन सभी प्रकार के वाहनों और वाहन चालकों से समान रूप से कराया जाना चाहिए। उनके अनुसार, सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की श्रेणी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन नियम सभी के लिए समान हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई भी सभी प्रकार के उल्लंघनों पर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से दोपहिया चालकों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई और दूसरी ओर भारी वाहनों तथा अन्य वाहनों के कथित नियम उल्लंघन के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाया है।

विधायक ने शहर के कई प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक सिग्नलों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कुछ स्थानों पर सिग्नल का रखरखाव और टाइमिंग यातायात की जरूरत के अनुरूप नहीं है। सिग्नल के संचालन में आने वाली दिक्कतों के कारण कई बार वाहनों की कतार और यातायात का दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने सिग्नल प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन और उसके रखरखाव को लेकर भी पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। कानानी ने प्रतिबंधित समय में शहर में प्रवेश करने वाले डंपर और अन्य भारी वाहनों को लेकर भी पुलिस की निगरानी पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि जब भारी वाहनों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित समय निर्धारित है, तो उस अवधि में शहर की सड़कों पर ऐसे वाहन दिखाई देने पर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उन्होंने भारी वाहनों के प्रवेश और संचालन पर निगरानी बढ़ाने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। यह मुद्दा कानानी की ओर से पहले भी उठाया जा चुका है। वर्ष 2023 में भी उन्होंने प्रतिबंधित समय में भारी वाहनों और लग्जरी बसों के शहर में प्रवेश का मुद्दा उठाते हुए ट्रैफिक अधिकारियों को पत्र लिखा था। उस समय पत्र के बाद प्रतिबंधित अवधि में प्रवेश करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी।

विधायक ने ट्रैक्टर और ट्रकों में खुले में रेत तथा मिट्टी ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि खुले वाहनों से निर्माण सामग्री या मिट्टी-रेत सड़क पर गिरने की स्थिति बन सकती है, जिससे सड़क की स्थिति प्रभावित होने के साथ यातायात के लिए भी परेशानी पैदा हो सकती है। उन्होंने ऐसे वाहनों पर नियमों के अनुसार निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।

शहर में ध्वनि प्रदूषण और यातायात अनुशासन से जुड़ा मुद्दा भी विधायक के पत्र में शामिल है।